काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद की 1916 की अधिसूचना संख्या 225 द्वारा स्थापित)
सूचना–पुस्तिका
स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) 2011

विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में शिक्षण सत्र 2011–2012 में प्रवेश हेतु *मई के तीसरे–चौथे सप्ताह, 2011 के मध्य* प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। अधोलिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करने पर स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) में प्राप्तांकों तथा आवेदित पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन दिया हो तथा प्रवेश परीक्षा में बैठा हो।

1. अध्ययन पाठ्यक्रम, अर्हता–शर्तें, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम कूट संख्या एवं सीटों की संख्या

निम्नलिखित स्नातक (यू0ई0टी0) पाठ्यक्रम वे हैं जिनकी प्रवेश परीक्षा, परीक्षा नियंता द्वारा आयोजित की जाती है। ये पाठ्यक्रम ''सामान्य पाठ्यक्रम'' एवं ''व्यावसायिक पाठ्यक्रम'' में बाँटे गये हैं।
सभी पाठ्यक्रमों का अध्यापन सम्बन्धित संकायों में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ पाठ्यक्रमों का अध्यापन महिला महाविद्यालय–काशी हिन्दू विश्वविधालय,राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर तथा शहर में सम्बद्ध महाविद्यालयों : आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज, चेतगंज ; वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा ; वसन्ता महिला महाविद्यालय, राजघाट ; डी.ए.वी. पी0 जी0 कॉलेज, औसानगंज में भी होता है। कोष्ठक में विभिन्न पाठ्यक्रमों के सीटों की कुल संख्या इंगित है जहाँ 'M' केवल पुरुष, 'F' केवल महिला तथा 'M&F' पुरुष तथा महिला दोनों को दर्शाता है।

अ सामान्य पाठ्यक्रमः

नोटः– अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दी हुई न्यूनतम आवश्यक अर्हता को ध्यान से पढ़े। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम आवश्यक अर्हता में दी जाने वाली छूट तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में दी जाने वाली छूट, न्यूनतम आवश्यक अर्हता सम्बन्धी टिप्पणी जो कि क्रमशः धारा 2, और 3 में दी हुई हैं का अध्ययन भी भली प्रकार कर लें।

(i) *बी.ए. (आनर्स) कलाः* अवधि : *6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)* कूट संख्या–131
न्यूनतम अर्हता शर्तें: 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण।
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
सीटों की संख्याः कला संकाय (614 M) महिला महाविद्यालय (230 F) आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज (307 F) वसन्त कन्या महाविद्यालय (230 F) वसन्ता महिला महाविद्यालय (330 F) डी.ए.वी. पी0 जी0 कॉलेज (246 M&F)

(ii) *बी.ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञानः* अवधि : *6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)* कूट संख्या–132
न्यूनतम अर्हता शर्तेः 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण।
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
सीटों की संख्याः सामाजिक विज्ञान संकाय (460 M) महिला महाविद्यालय (154 F) आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज (307 F) वसन्त कन्या महाविद्यालय (200 F) वसन्ता महिला महाविद्यालय (169 F) डी.ए.वी. पी0 जी0 कॉलेज (261 M&F)

(iii) *बी.काम. (आनर्स)/बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट*:* अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)कूट संख्या–133
न्यूनतम अर्हता शर्तेः 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/संगणक विज्ञान/फाइनेंस/फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट विषयों में से किसी एक के साथ योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण एवं संबद्ध विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र से प्रमाणित हो)
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
सीटों की संख्याः बी0 काम0 (आनर्स) के लिएः वाणिज्य संकाय (230 M&F) वसन्ता महिला महाविद्यालय (77 F) डी.ए.वी. पी0 जी0 कॉलेज (184 M&F) आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज (77 F) राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा (पेड सीट फीस संरचना के आधार पर) (92 M&F)
* *बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंटः* यह पाठ्यक्रम केवल राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में चलेगा जो कि स्पेशल कोर्सेस ऑफ स्टडीज के रूप में होगा और इसकी फीस रू0 20, 000 प्रतिवर्ष + अन्य रेगुलर फीस विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी। इसमें अधिकतम सीट 50 और न्यूनतम सीट 25 होगी। काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को अपना विकल्प/वरीयता बी0 काम0 (आनर्स)/बी0 काम0 (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट के लिए देना होगा और प्रवेश अभ्यर्थी की मेरिट एवं विकल्प/वरीयता के

आधार पर होगा। यदि बी0 काम0 (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या न्यूनतम सीट से कम होगी तो उस वर्ष यह कोर्स नही चलेगा।

(iv) *बी.एस.–सी. (आनर्स) गणित समूहः* *अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)* कूट संख्या–181
न्यूनतम अर्हता शर्तेः 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषयों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण। विषय श्रेणियाँः भैातिकी, गणित तथा निम्नविषयों में से कोई एक होः रसायन, सांख्यिकी भूगर्भशास्त्र, संगणक विज्ञान, इन्फारमेटिक्स प्रेक्टिसेस, भूगोल। उक्त संबद्ध तीनों विषयों में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र से प्रमाणित हो)
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
सीटों की संख्याः विज्ञान संकाय (460 M&F) महिला महाविद्यालय (77 F)

(v) *बी.एस.–सी. (आनर्स) जीव विज्ञान समूहः* *अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)* कूट संख्या–182
न्यूनतम अर्हता शर्तेः 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषयों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण। विषय श्रेणियाँः भैातिकी, रसायन तथा निम्नविषयों में से कोई एक होः जीव विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूगोल। उक्त संबद्ध तीनों विषयों में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र से प्रमाणित हो)
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
सीटों की संख्याः विज्ञान संकाय (307 M&F) महिला महाविद्यालय (154 F)

(vi) *शास्त्री (आनर्स)ः* *अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)* कूट संख्या–187
न्यूनतम अर्हता शर्तेः *(अ)* काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की मध्यमा/मध्यमा/उत्तरमध्यमा/उपशास्त्री/इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 या समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण और *(ब)* सम्बन्धित परीक्षा में संस्कृत का एक विषय होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को उसमें भी उत्तीर्ण होना चाहिए।
ऐसे अभ्यर्थी जो 10+2 उत्तीर्ण होने के उपरान्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संस्कृत में एक वर्षीय सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तथा वे 10+2 परीक्षा और एक वर्षीय सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम परीक्षा में भी कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हो, वे भी अर्ह होंगे।
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
सीटों की संख्याः संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय (152 M&F)

ब व्यावसायिक पाठ्यक्रमः

(i) *बी.एस.–सी. (कृषि.)ः* *अवधि : 8 सेमेस्टर (चतूवर्षीय)* कूट संख्या–135
न्यूनतम अर्हता शर्तेः (अ) 10+2 अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान, (भौतिकी, रसायन, गणित/जीव विज्ञान के साथ) न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(ब) आयुः आयु प्रवेश वर्ष में 1 जुलाई को 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
सीटों की संख्याः कृषि विज्ञान संस्थान (123 M&F)

(ii) *बी. एड. (बैचलर आफ एजूकेशन)/ बी. एड. (बैचलर आफ एजूकेशन) (स्पेशल)ः अवधि : 2 सेमेस्टर (एकवर्षीय)* विषय कूट सं0ः तालिका 1 में दिया गया है।

(अ) न्यूनतम अर्हता शर्तेः स्नातक *(कम से कम* 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत) [शास्त्री भी] सभी विषयों के तीनों वर्षों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उन विषयों को छोड़कर जिसमें केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा अन्तिम वर्ष के अंक पत्र में उनका योग नहीं सम्मिलित हो। अभ्यर्थी मुख्य विषय ** के रूप में स्नातक स्तर पर कम से कम एक स्कूल* विषय अवश्य लिया हो।

अथवा

(ब) एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम./आचार्य प्राप्तांक के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित। अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम एक स्कूल* विषय मुख्य विषय ** के रूप में अवश्य लिया हो।
* स्कूल विषयः हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान (भौतिकी और/या रसायन), जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान और/या वनस्पति विज्ञान), गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास (या प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति), भूगोल, राजनीति विज्ञान (या नागरिक शास्त्र), गृहविज्ञान, सांख्यिकी।

यहाँ बी0 एड0/बी0 एड0 (स्पेशल) में पाँच समूह रहेगा; जैसे; (अ) भाषा समूह (ब) जीव विज्ञान (स) भौतिक विज्ञान (द) गणित (य) मानविकी और सामाजिक विज्ञान। अभ्यर्थी को किसी विशेष वर्ग में पात्र होने के लिए निम्नांकित टेबुल में कोई एक मुख्य विषय ** स्नातक स्तर पर (कम से कम दो वर्ष)/परास्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए। विषय कूट संख्या टेबुल में दी गयी है।
तालिका 1ः

	समूह	स्नातक/परास्नातक स्तर पर मुख्य विषय	कूट संख्या
अ.	भाषा समूह	हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत	141
ब.	जीव विज्ञान	वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान/रसायनशास्त्र/गृह विज्ञान	142
स.	भौतिक विज्ञान	भौतिक विज्ञान/रसायनशास्त्र/गणित	143
द.	गणित	गणित/सांख्यिकी	144

य.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	इतिहास अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व / भूगोल / अर्थशास्त्र / राजनीति शास्त्र / वाणिज्य	145

** मुख्य विषय वे हैं जिनके प्राप्तांकों को योग के प्राप्तांक प्रतिशत की गणना फाइनल (डिग्री) मार्कशीट में सम्मिलित किया जाता हो तथा वे विषय स्नातक / परास्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्ष अध्ययन किये गये हों। स्नातक स्तर पर यदि रसायन शास्त्र का अध्ययन भौतिक विज्ञान वर्ग में किया गया हो तो इसे भौतिक विज्ञान वर्ग में माना जायेगा, जबकि स्नातक स्तर पर ही रसायन शास्त्र का अध्ययन यदि जीव विज्ञान वर्ग में किया गया हो तो इसे जीव विज्ञान वर्ग में माना जायेगा। यदि स्नातक स्तर पर गणित का अध्ययन भौतिक विज्ञान वर्ग में किया गया हो तो इसे भौतिक विज्ञान वर्ग में माना जायेगा।

महत्वपूर्णः— अपनी शैक्षिक योग्यतानुसार विषय समूह चुनने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। बी0 एड0 / बी0 एड0 (स्पेशल) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अभ्यर्थी कोई एक विषय समूह चुन सकेगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। पात्रतानुसार विषय समूह का चयन न करना और / अथवा चयनित वर्ग में परीक्षा न देने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा पहली बार चुना गया विषय समूह ही अंतिम होगा।

टिप्पणीः— काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी को बी0 एड0 / बी0 एड0 (स्पेशल) पाठ्यक्रम के चुनाव का वरीयता क्रम देना होगा एवं दिया गया वरीयता क्रम अंतिम होगा।

बी0 एड0 (स्पेशल) पाठ्यक्रम के माध्यम से दृष्टिहीनता एवं मूकबधिर रूप से विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में संकाय, बी0 एड0 (स्पेशल) के अन्तर्गत 2 विशिष्टताएं (स्पेशलिटीज) बधिर, और दृष्टिहीन विकलांगताओं के पाठयक्रम चलायेगी। यूईटी की योग्यता सूची के आधार पर, बी0 एड0 (स्पेशल) के दृष्टि विकलांगता के पन्द्रह छात्रों को 300 / — प्रतिमाह सहयोग राशि देने की व्यवस्था है।

सीटों की संख्याः (अ) बी0 एड0— [बी0 एच0 यू0 परिसर, कमच्छा (276 M&F)], राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकच्छा, मीरजापुर [(154 M&F) पेड सीट फीस संरचना के अनुसार]; एएमपीजीसी (107 F), वीसीडब्ल्यू (107 F); [सीटों का विस्तृत विवरण नीचे दिया है।]
(ब) बी0 एड0 (स्पेशल)— शिक्षा संकाय (M&F) दृष्टिहीनः 34, मूक बधिरः 34

बी0 एड0 के लिए विभिन्न समूहों के सीटों का विवरण

संस्था / संकाय / महाविद्यालय	विषय समूह					योग
	भाषा समूह	जीव विज्ञान	भौतिक विज्ञान	गणित	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	
	अ	ब	स	द	य	
शिक्षा संकाय, कमच्छा	46	54	54	30	92	276
राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर	24	31	31	17	50	153
वसन्त महिला महाविद्यालय, राजघाट	31	15	15	08	38	107
आर्य महिला पी0 जी0 कालेज	31	15	15	08	38	107

बी0 एड0 (स्पेशल) के लिए विभिन्न समूहों के सीटों का विवरण

शिक्षा संकाय, कमच्छा, वाराणसी

विकलांगता विषय क्षेत्र	विषय समूह					योग
	भाषा समूह	जीव विज्ञान	भौतिक विज्ञान	गणित	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	
	अ	ब	स	द	य	
दृष्टिहीन	5	6	6	5	12	34
मूक बधिर	5	6	6	5	12	34

टिप्पणी [बी0एड0 / बी0 एड0 (स्पेशल) हेतु]: अनु0 जाति0, अनु0 जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांगता का आरक्षण विश्वविद्यालय नियमानुसार होगा। यदि सीटों की संख्या कम हुई तो संकाय की प्रवेश समिति को अधिकार होगा कि वह आरक्षित श्रेणी की सीटें व्यावहारिक तौर पर निर्धारित करें ताकि यथासंभव सभी आरक्षित श्रेणी उपलब्ध सीटों से अपना आरक्षण प्राप्त कर सकें।

(iii) *एल.एल0 बी0* *अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)* कूट संख्या—151

न्यूनतम अर्हता शर्तेः बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.काम. / शास्त्री (*कम से कम* 10+2+3 पद्धति) में तीनों वर्षों के सभी विषयों के आधार पर परीक्षा के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित या एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये विधि परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य (10+2+3) उपाधि तीनों वर्षों के सभी विषयों के आधार पर न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण (योग में प्राप्तांक का प्रतिशत जैसा ऊपर बताया गया है के आधार पर) *(नोटः बार काउसिल आफ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार दूरस्थ या वाहय शिक्षा पद्धति द्वारा प्राप्त अर्ह उपाधि एल.एल0 बी0 में प्रवेश के लिए योग्य नही माने जायेगे)*।

सीटों की संख्याः विधि संकाय (384 M&F)

(iv) *बी0 पी0 एड0 :* *अवधि : (एकवर्षीय)* कूट संख्या—152

न्यूनतम अर्हता शर्तेः (i) (अ) *फिजिकल एजुकेशन में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक या (ब) 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक उपाधि में फिजिकल एजूकेशन एक एलेक्टिव विषय के रूप में या (स) 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि के साथ फिजिकल एजूकेशन / स्नातक उपाधि के साथ फिजिकल एजूकेशन एक एलेक्टिव विषय के रूप में और एआइयू या आईओए द्वारा मान्य राष्ट्रीय / अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालयीय / अन्तरविश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में सहभागिता*

(ii) आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 25 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए; और

(iii) प्रवेश परीक्षा वर्ष की 1st जुलाई से पूर्व तीन वर्षों की अवधि में ही सम्मिलित हुए अभ्यर्थी अर्ह माने जायेगे और

(iv) बी. पी. एड. प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थी को खेलकूद में सम्मिलित होने के प्रमाण पत्र की स्थिति में बोनस अंक प्राप्त करने हेतु विचार किया जा सकता है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने द्वारा उच्चतम स्तर के खेलकूद में भाग लेने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रतिलिपि लगाना आवश्यक होगा। (बी. पी. एड. से सम्बन्धित टेस्ट की अवधि एवम् प्रश्न पत्र के प्रारुप की धारा का अवलोकन करें)।

संलग्न स्वहस्ताक्षरित खेलकूद प्रतियोगिता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि पर अभ्यर्थी को अपना नाम, आवेदन पत्र सं0 अंकित करते हुए हस्ताक्षर भी करना चाहिए।

नोटः अर्ह अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण वि0 वि0 के छात्र स्वास्थ्य केन्द्र पर होगा। प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किया गया हो।

सीटों की संख्याः 77 (M&F):

कुल सीटों की 15% सीटें महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगी। यदि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो आवंटित महिला सीट को पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(v) *बी.म्यूज. (वाद्य संगीतः सितार):* अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या–171
बी.म्यूज. (वाद्य संगीतः बाँसुरी): अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या–172
बी.म्यूज. (वाद्य संगीतः वायलिन): अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या–173
बी.म्यूज. (वाद्य संगीतः तबला): अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या–174
बी. पी. ए. (नृत्यः कथक): अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या–175
बी. पी. ए. (नृत्यः भरतनाट्यम): अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या–176
बी.म्यूज. (कंठ संगीत): अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या–177

न्यूनतम अर्हता शर्तेः (अ) 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि
और

(ब) कंठ संगीत/वाद्य संगीत/नृत्य (कत्थक/भरतनाट्यम) उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से किसी स्तर पर एक विषय होना चाहिए तथा अभ्यर्थी उसमें भी उत्तीर्ण हो; या इस विश्वविद्यालय का त्रिवर्षीय डिप्लोमा, कंठ संगीत/वाद्य संगीत/नृत्य (कत्थक और भरतनाट्यम) उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण; या निम्नलिखित में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण :

(कंठ/वाद्य संगीत/नृत्य हेतु)

प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की सीनियर डिप्लोमा परीक्षा/भातखण्डे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की मध्यमा परीक्षा/मध्य प्रदेश सरकार की संगीत में मध्यमा परीक्षा/ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल मुम्बई की मध्यमा परीक्षा/इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की मध्यमा परीक्षा।

(केवल नृत्य हेतु)

कला क्षेत्र, चेन्नई द्वारा प्रदत्त पंचवर्षीय अंश कालिक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण/तामिलनाडु सरकार द्वारा संचालित सीनियर सर्टिफिकेट उत्तीर्ण परीक्षा/भारतीय नृत्य मन्दिर, पटना द्वारा प्रदत्त पंचवर्षीय डिप्लोमा।

(स) उपर्युक्त सभी संगीत/नृत्य के प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक अर्जित करना आवश्यक है (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति हेतु मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है)

सीटों की संख्याः मंच कला संकायः वाद्य संगीत (सितारः 15 M & F); वाद्य संगीत (बाँसुरीः 15 M & F); वाद्य संगीत (वायलिनः 15 M & F); वाद्य संगीत (तबलाः 15 M & F); नृत्य (कथकः 15 M & F); नृत्य (भरतनाट्यमः 15 M & F); कंठ संगीत (15 M & F)

(vi) *बी.एफ.ए. :* अवधि : 8 सेमेस्टर (चतुर्वर्षीय) कूट संख्या–180

न्यूनतम अर्हता शर्तेः 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण।
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
सीटों की संख्याः दृश्य कला संकाय (77 M&F)

2. अनुसूचित जाति (अ0 जा0), अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि0 व0) और शारीरिक विकलांग (शा0 वि0) के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अर्हता में छूट

(i) उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति (अ0 जा0), अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0) के अभ्यर्थियों के लिए [एल0 एल0 बी0 को छोड़कर] अर्ह परीक्षा में योग में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने की कोई बाध्यता नही होगी, परन्तु उन्हें अर्ह परीक्षा में पास होना चाहिए तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा में बैठा होना चाहिए। (ii) एल0 एल0 बी0 अभ्यर्थी को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 35% प्राप्तांक होना चाहिए। योग में प्राप्ताकों के प्रतिशत की गणना तीनों वर्षों में अध्ययन किये हुए सभी विषयों के आधार पर और एल0 एल0 बी0 के पाठ्यक्रम में दिये गये प्रक्रिया के आधार पर होगी। (iii) सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में सभी पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों को न्यूनतम आवश्यक अर्हता परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के योग में 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी।

3. शारीरिक विकलांग/अनुसूचित जाति (अ0 जा0), अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि0 व0)अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट

शारीरिक विकलांगता प्राप्त अभ्यर्थियों को, उन विभिन्न पाठ्यक्रमों में, जिनमें प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है, 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में है। *उसी प्रकार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट* अनुसूचित *जाति (अ0 जा0), अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0), एवं 3 वर्ष की छूट अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि0 व0) के अभ्यर्थियों को भी दी जायेगी।*

4. न्यूनतम अर्हत्ता शर्तों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

(i) वे अभ्यर्थी भी जो अर्ह परीक्षा के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे/रही हों, प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते/सकती है और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हो सकते/सकती है, परन्तु अभ्यर्थी को अर्ह परीक्षा का मूल अंकपत्र प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। पुनः ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश हेतु होने वाली काउन्सिलिंग के लिए बुलाये जाने की दशा में यदि काउन्सिलिंग की तिथि को अर्ह परीक्षा में वांछित न्यूनतम अर्हता के साथ मूल अंकपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तों के साथ सशर्त प्रवेश हेतु अनुमति दी जायेगी।

तथापि सशर्त प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर आधारित होंगीः

(अ) अभ्यर्थी को यह लिखित शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह अर्ह परीक्षा की मार्कशीट वांछित न्यूनतम अर्हता शर्तों के साथ 31 अक्टूबर 2011 तक अवश्य प्रस्तुत करेंगे।

(ब) अर्ह डिग्री से सम्बन्धित पूर्व परीक्षाओं के अंक पत्रों से यह स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत (50%) कुल योग के अंकों में प्राप्त किया है (उदाहरण हेतु पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में अन्तिम वर्ष की परीक्षा/अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा को छोड़कर)। यह अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं है। यदि वे वाछित अंकपत्र 31 अकटूबर 2011 तक प्रस्तुत करने में असफल रहते है तो उनका प्रवेश निरस्त माना जायेगा और सशर्त प्रवेश के लिए किया गया शुल्क भुगतान की वापसी हेतु कोई भी दावा नही कर सकेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो इस विश्वविद्यालय के संस्थागत छात्र के रूप में किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश परीक्षा द्वारा पूर्व में पंजीकृत हुए हो और उस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह रहे हो, उन्हें विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उसी पाठ्यक्रम के उन्ही विषय समूहों में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होगी यदि उस सम्बन्धित संकाय के आर्डिनेंस में इस तरह की अनुमति न दी गयी हो। *तथापि उक्त पाठ्यक्रम के विषय समूह परिवर्तन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।* पुनश्च ऐसे अभ्यर्थी जो सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उपस्थिति के अभाव में अर्ह नहीं थे या समय से परीक्षा आवेदन पत्र जमा नही किए उन्हें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी यदि वे अन्यथा अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष *(तृतीय सेमेस्टर* में या उच्चतर वर्ष*)* में पंजीकृत हो वे प्रवेश परीक्षा में उक्त पाठ्यक्रम या विषय *समूह परिवर्तन हेतु भी बैठने के लिए अनुमति नही प्रदान की जायेगी।*

(iii) यदि अभ्यर्थी ने अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है जहाँ ग्रेड प्वाइंट दिये जाते हैं तथाः

(अ) यदि ग्रेडशीट ग्रेड प्वाइंट के समकक्ष अंक प्रतिशत को नहीं दर्शाता है तो अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान से समकक्ष अंक प्रतिशत का प्रमाणपत्र अथवा अंक प्रतिशत निकालने सम्बन्धी सूत्र का प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

(ब) यदि ग्रेडशीट पर ग्रेड प्वाइंट से अंकों का प्रतिशत निकालने का सूत्र या उसका प्रतिदर्श दिया हो, तो अभ्यर्थी को उस ग्रेडशीट या उपाधि के दोनों पृष्ठो की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iv) सम्पूर्ण योग में प्राप्तांक प्रतिशत की गणना में संस्था द्वारा प्रदत्त *कृपांक भी सम्मिलित होंगे।* विषय/विषयों में प्राप्त अंक जिनमें केवल उत्तीर्ण होना इच्छित है, भी सम्मिलित नही होंगे। जैसे कि अनिवार्य भाषा, अनिवार्य पर्यावरण इत्यादि। इसी प्रकार अतिरिक्त विषय के नम्बर जो सम्पूर्ण प्रतिशत/श्रेणी सुधार हेतु यदि कोई हों तो उन्हें सम्पूर्ण योग के प्रतिशत की गणना में विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु नही माना जायेगा। इसके और स्पष्टीकरण हेतु कृपया खण्ड ''न्यूनतम अहर्त्ता शर्तों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ'' क्रम सं0 (v) नीचे देखे।

(v) योग के प्राप्तांक का प्रतिशत की गणना अर्ह परीक्षा की फाइनल मार्कशीट के आधार पर की जायेगी। स्नातक परीक्षा में जहां कि फाइनल मार्कशीट दो या दो से अधिक प्रकार की जैसे कि केवल आनर्स विषय के आधार पर या तीनो वर्षों में अध्ययन किये गये सभी विषयों के आधार पर हो के योग के प्राप्तांक के प्रतिशत गणना सभी अध्ययन किये गये विषयों के प्राप्तांक के आधार पर की जायेगी। उदाहरण के लिए– बी0 ए0 (आनर्स)/बी0 एस0 सी0 (आनर्स) का0 हि0 वि0 वि0 से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पहले दो प्रकार की मार्कशीट जैसे 1000 के अंकों के आधार पर या 1800 के अंकों के आधार पर दी जाती थी। इस प्रकार की स्थिति में कुल योग के प्राप्तांक के प्रतिशत की गणना 1800 अंकों के आधार पर होगा बजाय 1000 के। जहां अन्तिम अंकपत्र केवल आनर्स विषयों पर आधारित हो, लेकिन विद्यार्थी अन्य सहायक/उसी तरह के अन्य विषय उसी दौरान अध्ययन किया हो, तो उनके अंकों को भी कुल योग के प्राप्तांक के गणना में सम्मिलित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के संदेह/व्याख्या की कठिनाई की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(vi) अ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य उपाधि/प्रमाण पत्र ही प्रमाण पत्र/उपाधि के समतुल्य माने जायेगे।

(ब) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की दूरस्थ शिक्षा परिषद/भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) को ही दूरस्थ शिक्षा की डिग्री/प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार है। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, किन्तु उन्हें इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (IGNOU) की दूरस्थ शिक्षा परिषद अथवा अन्य मान्य परिषद से कोर्स की मान्यता/अनुमोदन संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

(स) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली (केन्द्रीय विश्वविधालय) द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा के 10+2 स्तर के पाठयक्रम बी0 ए0 (आनर्स) पाठयक्रम में प्रवेश के लिए मान्य होगे।

(vii) 'अभ्यर्थी की उम्र प्रवेश वर्ष की पहली जुलाई को 22 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए', इसका तात्पर्य है कि प्रवेश वर्ष *2011 के* लिए अभ्यर्थी का जन्म पहली जुलाई *1989* को या उसके बाद का होना चाहिए।

(viii) पाठ्य नियमावली में कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाता है शैक्षणिक सत्र से सम्बन्धित सूचना पुस्तिका में वर्णित अपेक्षित पात्रता के आधार पर ही प्रवेश लिया जायेगा।

(ix) जाली प्रमाण पत्रों के साथ जमा किया गया आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बाद की किसी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।

(x) अभ्यर्थी को अस्थायी रुप से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न उपाधि/अंक पत्र/प्रमाण पत्र की अन्तिम मान्यता एवं वैधता का निर्णय तथा इस विश्वविद्यालय के किसी भी गत परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार का अनुचित साधन के प्रयोग न करने की सम्पुष्टि भी सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रवेश के समय की जायेगी।

(xi) स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र अथवा लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक अर्जित कर लेने मात्र से ही अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश का हकदार नहीं हो जायेगा। उसे पाठ्यक्रम सम्बन्धी अर्हता शर्तों को पूर्ण करना भी आवश्यक होगा। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्धारित अर्हता शर्तों को पूर्ण करने के प्रति पूर्णरुपेण आश्वस्त हो जाना चाहिये।

(xii) यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है, जो अन्यथा न्यूनतम अर्हता–शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वह बाद में इसे आधार बनाकर यह दावा नहीं कर सकेगा/सकेगी कि वह अर्हता–शर्तें पूरी करता/करती है।

विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रवेश निरस्त/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि यह ज्ञात हो कि:
(i) अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता शर्तें पूरी नही करता/करती है।
(ii) जाली दस्तावेज जमा किये गये हैं।
(iii) कोई अन्य वैध कारण।

(xiii) इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्था के किसी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये योग्य नहीं होंगे।

5. आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिः

(i) प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के लिये 15% तथा अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5% स्थान आरक्षित रहेंगे। इन आरक्षित स्थानों पर प्रवेश प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी का प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना और अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का 'बार कौंसिल आफ इण्डिया' के नियमानुसार अर्हता परीक्षा में तीनों वर्षों में सभी विषयों के आधार पर न्यूनतम 35% अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके स्वयं सत्यापित अनुसूचित जाति/जनजाति होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :–

(अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।
(ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
(स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
(द) उस क्षेत्र का प्राखण्डिक अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
(य) प्रशासक/प्रशासक–सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिये कि अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति/जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से होना चाहिए :– (अ) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम (ब) क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है (स) जिला एवं राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का नाम जहाँ का वह सामान्यतया निवासी है और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

यदि कोई अभ्यर्थी किसी अन्य श्रेणी (उदाहरणार्थः शारीरिक विकलांगता/कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग आदि) में प्रवेश लेता/पाता है तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता संतुष्ट करना होगा।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि0 व0):

अन्य पिछड़ा वर्ग (जो क्रीमीलेयर से आच्छादित न हो) के अभ्यर्थियों को 27% का आरक्षण विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिया जायेगा।
अ0पि0व0 का प्रमाण पत्र वही सक्षम अधिकारी जारी करेगा जैसा उपरोक्त खंड 5 (i) में दिये अनु0 जाति/अनु0जनजाति के लिए दिया गया हैं। अ0 पि0 व0 का प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब उसमें दर्शायी गई जाति केन्द्र सरकार की सूची में शामिल हो। इसके अतिरिक्त अ0पि0व0 के प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नही आता है। *तथापि, यदि अ0पि0वि0 अभ्यर्थी किसी अन्य वर्ग (कैटेगरी) में प्रवेश लेता है (उदाहरणार्थः शारीरिक विकलांग/कर्मचारी वार्ड इत्यादि) तो अभ्यर्थी को उस वर्ग के लिए निर्धारित न्युनतम अर्हता शर्तों को पूर्ण करना चाहिए।*

(iii) शारीरिक विकलांगः

शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों हेतु 3% सीटें आरक्षित होगी : दृष्टि विकलांगता (1%) + बधिर विकलांगता (1%) + अस्थि विकलांगता (1%) (क्षैतिज स्तर पर आरक्षण)। ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया, विकलांगता प्रमाण पत्र, की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। सम्भावित अस्थायी प्रवेश हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को बी.एच.यू. द्वारा गठित चिकित्सा समिति (मेडिकल बोर्ड) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और, यह चिकित्सा समिति विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के

आधार पर किसी अन्य प्रमाणित संस्था को यदि आवश्यक हुआ तो इस परीक्षण कार्य हेतु सन्दर्भित कर सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा समिति का निर्णय अंतिम होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा केवल वाराणसी केन्द्र पर होगी।

दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिये 'लेखक':

दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा 'लेखक' की व्यवस्था की जायेगी। 'लेखक' की शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थी अपनी प्रवेश परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र पर परीक्षा–नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को आवेदन करें। इसके लिये अभ्यर्थी को परीक्षा नियंता कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर के एक फोटो (जैसी प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र पर लगायी है) चिपका कर जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष रोग–विषयक जांच के लिए उपस्थित होना होगा और लेखक देने से पूर्व विभागाध्यक्ष की सलाह/संस्तुति पर विचार किया जायेगा। ऐसे सभी दृष्टिहीन अभ्यर्थियो के लिये प्रवेश परीक्षा वाराणसी में केवल एक ही केन्द्र पर होगी।

टिप्पणीः बी0 पी0 एड0 में, शारीरिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश मान्य नही है। क्योंकि इस पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को खेलकूद की प्रक्रिया करना आवश्यक है।

जहां कहीं सीटों की संख्या कम होगी, वहां आरक्षित वर्ग की सीटों की गणना हेतु उन सीटों को एक वर्ग में संयुक्त कर गणना करने के लिए विश्वविद्यालय के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

आरक्षित श्रेणी (कैटेगरी) के मेधावी अभ्यर्थियो को सामान्य अभ्यर्थी की तरह मानना।

किसी पाठ्यक्रम में, यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का योग्यताक्रम सामान्य वर्ग में अंतिम योग्यता क्रम पर प्रविष्ट अभ्यर्थी के योग्यताक्रम से अधिक या सामान हो, आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उस पाठयक्रम में सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी समझा जायेगा। पुनः यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी की अन्य सूविधाओं जैसे वांछित न्यूनतम अर्हता में छूट, आयु में छूट विषय समूह के आवंटन में छूट यदि कोई हो, स्पेशेलाइजेसन आवंटन आदि का लाभ प्राप्त करता है तब अभ्यर्थी ततसम्बन्धी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

अतिरिक्त स्थानः

(i) का0 हि0 वि0 वि0 कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लियेः 10% अतिरिक्त स्थान, [बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट को छोड़कर] विश्वविद्यालय के वर्तमान सेवारत स्थायी कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों (परिवीक्षा के कर्मचारी भी सम्मिलितं) के लिये अथवा परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से ठीक एक सत्र पिछले शैक्षणिक सत्र में सेवारत रहे हों, आरक्षित होंगे बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता आवश्यकतायें पूर्ण करतें हों एवं इस श्रेणी हेतु दावा किया हो तथा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हों। विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे कर्मचारी के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री वर्ग से सम्बन्धित है, जमा करेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को, यदि काउन्सिलिंग के लिए बुलाया गया तो, उन्हें उपकुलसचिव (प्रशासन) द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी किया गया विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही जमा करना होगा। इसी प्रकार ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में स्थायी रुप से किसी सम्बद्ध महिला महाविद्यालय में कार्यरत हैं या प्रवेश परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से एक सत्र पूर्व में सेवारत थे उनकी पुत्रियों के लिये (पुत्र–पुत्रियों के लिये यदि डी.ए.वी. पी. जी. कालेज में हों) सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय में *10%* अतिरिक्त स्थान आरक्षित होंगे, बशर्तें अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अर्हता पूर्ण करता हो एवं प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जहां कही पर कर्मचारी प्रतिपाल्यों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्राविधान है, यह प्राविधान उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अथवा शोध वैज्ञानिक ए, बी और सी पर कार्यभार ग्रहण किया है। इस प्राविधान को कर्मचारी प्रतिपाल्यों हेतु उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त एक सीट और सृजित कर दिया जायेगा अगर उपरोक्त प्रतिपाल्यों का प्रवेश प्राप्तांक कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग में प्रवेश पाये अन्तिम अभ्यर्थी के प्रवेश प्राप्तांक से कम न हो (नोट : 10 प्रतिशत की गणना में यदि कोई अपूर्ण संख्या आती है तो उसे अगले पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर दिया जायेगा)

(ii) पेड सीटः कतिपय पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त 'पेड सीट' (कुल सीटों की संख्या के 10% तक) का प्राविधान है जिसकी विस्तृत जानकारी प्रवेश के समय संबद्ध संकाय/विभाग से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सम्बन्धित संकाय/विभाग से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पेड सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हेतु सदैव सम्पर्क बनाये रखे। *क्योकि कुछ पाठ्यक्रमों में पेड सीट के अन्तर्गत यूईटी इंडेक्स के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को काल लेटर प्रेषित करने की अपेक्षा सूचनायें सूचना पट पर प्रस्तुत किये जाते है।*

(iii) आई. सी. ए. आर. सीट बी0 एस0 सी0 (कृषि) के लिएः 15% अतिरिक्त सीटों का आई. सी. ए. आर. द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उक्त संस्थान द्वारा नामित अभ्यर्थियों के लिये प्रावधान है।

(iv) स्पोर्ट्स सीटः विभिन्न संकायों/संस्थानों में स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत उपलब्ध अतिरिक्त सीटों का प्राविधान नीचे दिये गये विवरणानुसार होगाः

क्रम. सं.	संस्थान/संकाय/महाविधालय	स्पोंट सीट (अतिरिक्त सीटें*)
1.	कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान	10 (प्रत्येक में)
2.	वाणिज्य	5
3.	कृषि, शिक्षा, मंच कला, दृश्य कला, सं. वि. धर्म विज्ञान संकाय, *विधि*	*2* (प्रत्येक में)
4.	*महिला महाविद्यालय*	*6 (बीएससी–बायो 1, बीएससी मैथ–1, बीए आर्टस–2, बीए सोशल साइंस–2)*
5.	डीएवी पीजी कालेज	6 (2 कला, 2 कामर्स, 2 सा0 विज्ञान)
6.	वसन्त कन्या महाविधालय वसन्ता कालेज फार वोमेन	2 2

	आर्य महिला पी0 जी0 कालेज	2

टिप्पणीः स्पेशल पाठ्यक्रमों में यह प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

अभ्यर्थियों को केवल विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद के अनुमोदन के आधार पर स्पोर्ट सीट में प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा तथा स्पोंट सीट पर प्रवेश के लिए कोई भी अभ्यर्थी अर्ह होगाः (क) अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (ख) सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ होना चाहिए (ग) एआईयू की नियमों के अन्तर्गत; प्रतियोगिता में खेलने की शर्तें पूरी करता हो (घ) अर्ह परीक्षा के स्तर पर बिना बाधा के नेशनल (सिनीयर / जुनियर / सब जूनियर / यूथ / स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) में भागीदारी या इन्टर जोनल / जोनल इन्टर युनिवर्सिटी टुर्नामेंट / एआईयू चैम्पियनशिप गेम्स में भागीदारी।

इस प्रकार स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत प्रवेश के लिए योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थि को प्रेक्टिकल टेस्ट (सम्बन्धित गेम / इवेंट में 40 अंक का **Modified AAPHER youth fitness test** तथा 60 अंक का **playing ability test**) उत्तीर्ण करना होगा जिसमें संयुकत रूप से कम से कम 60% उपार्जित करने होंगे। साथ ही अभ्यर्थी को उपरोक्त दोनों टेस्ट्स में से प्रत्येक में अलग अलग कम से कम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रेक्टिकल टेस्ट परीक्षा नियंता के परामर्श से युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा संचालित की जायेगी।

स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत प्रवेश के लिए योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियो का योग्यताक्रम का निर्धारण स्पोट्स प्रमाण पत्र के उपलब्धियों पर आधारित अंको के आधार पर किया जायेगा। स्पोर्ट्स उपलब्धि अंक की गणना करते समय केवल उच्चत्तम स्पोर्ट्स उपलब्धि अंकों का ही विचार किया जायेगा।

खेलकूद (स्पोर्ट्स) उपलब्धि अंक निम्न प्रकार से होंगेः

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सहभागिताः

A- नेशनल (सिनीयर / जुनियर / सब जूनियर / यूथ / स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया)

स्थान	टीम	व्यक्तिगत
प्रथम पोजीशन	30	35
द्वितीय पोजीशन	25	30
तृतीय पोजीशन	20	25
क्वेल भागीदारी	10	10

B- एआईयू द्वारा आयोजित आल इण्डिया/इन्टर जोनल इन्टर यूनिवर्सिटी

स्थान	टीम	व्यक्तिगत
प्रथम पोजीशन	30	35
द्वितीय पोजीशन	25	30
तृतीय पोजीशन	20	25
चौथा पोजीशन	15	15

C- एआईयू द्वारा आयोजित जोनल इन्टर यूनिवर्सिटी

स्थान	टीम	व्यक्तिगत
प्रथम पोजीशन	15	20
द्वितीय पोजीशन	10	15
तृतीय पोजीशन	08	10
चौथा पोजीशन	05	08

संकाय / संस्थान / महाविद्यालय में अभ्यर्थियों के खेलकूद (स्पोर्ट्स) उपलब्धि अंक समान होने की दशा में यूईटी इंडेक्स के अनुसार *inter-se* द्वारा योग्यताक्रम का निर्धारण होगा। यदि यूईटी इंडेक्स समान हैं तो अर्ह परीक्षा के सम्पूर्ण अंक का प्रतिशत द्वारा निर्धारण होगा। यदि ये भी समान हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

टिप्पणीः 1.जो अभ्यर्थी विश्व विश्वविधालीय क्रीड़ाओं में भारत या भारतीय विश्वविधायलय (कम्बाइंड) टीम का प्रतिनिधित्व किया है तो उसे सीधे प्रवेश दिया जायेगा बशर्तें यदि वह अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण है और पाठ्यक्रम में प्रवेश की अन्तिम तिथि के पूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

2. एआईयू से अनुमोदित न होने या विश्वविद्यालय के पास समुचित संसाधन की अनुपलब्धता के कारण निम्नलिखित गेम्स / खेलकूद प्रमाण पत्र विचार नही किये जायेंगेः

बाल बैडमिन्टन (M/W), बेस बाल(M/W), केनोइंग तथा कयाकिंग(M/W), साइकिलिंग(M/W), फेंसिंग(M/W), कॉर्फ बाल(M/W), पिस्टल / राइफल शूटिंग(M/W), रोइंग(M/W), साफ्ट बाल(M/W), याचिंग(M/W), टेनिक्वायट(M/W), कराटे(M/W), बाक्सिंग(M/W), कैरम(M/W), सर्किल कबडडी(M/W), गटका (M/W) तथा टाइक्वांडो(M/W)।

(v) विदेशी नागरिकों का प्रवेश : विदेशी नागरिकों हेतु 15% अतिरिक्त सीटों का प्राविधान है जिनमें 5 प्रतिशत सीटें अप्रवासी भारतीय नागरिकों [भारतीय मूल के नागरिक (पी.आई.ओ.)] के बच्चों द्वारा और 5 प्रतिशत गल्फ और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में कार्यरत भारतीयों के बच्चों द्वारा भरी जायेंगी। इसकी विस्तृत जानकारी अर्न्तराष्ट्रीय केन्द्र के कार्यालय , सी / 3 / 3, टैगोर हाउस, बनारस हिन्दू यूनिर्वसिटी, वाराणसी–221 005 से प्राप्त किया जा सकता है (कृपया हमारी वेबसाइटः www.bhu.ac.in. को देखे)।

6. प्रवेश शुल्क

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से पूरित आवेदन पत्र जमा करना होगा। सूचना पुस्तिका के साथ आवेदन पत्र परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविधालय या काशी हिन्दू विश्वविधालय द्वारा निर्धारित अन्य कार्यालय में रू0 50/– (केवल पचास रूपये) के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

(नोटः प्रवेश के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन द्वारा भी भरा जा सकता है। पूर्ण विवरण के लिए वेवसाइट www.bhu.ac.in. *देखा जा सकता है।)*

अभ्यर्थी को नीचे दर्शाये गये विवरणानुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदन पत्र के साथ करना होगाः

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क	
	अनु0 जा0/जन0 जा0	अन्य
सभी पाठ्यक्रम शास्त्री (आनर्स) को छोड़कर	200.00 रुपये	500.00 रुपये
शास्त्री (आनर्स)	125.00 रुपये	200.00 रुपये

प्रवेश परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में चालान द्वारा ही जमा किया जा सकेगा (सीबीएस ब्रांचेज)। चालान तीन प्रति वाले होंगे जो सूचना पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर संलग्न रहेगा। अभ्यर्थी को अपनी पसंद के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा पर निर्धारित धनराशि जमा करना होगा। बैंक चालान की एक प्रति अपने पास रख लेगा और बाकी बचे दो प्रतियों पर जर्नल संख्या एवं धनराशि जमा करने का दिनांक का उल्लेख करते हुये अभ्यर्थी को वापस कर देगा जिसमें से अभ्यर्थी एक प्रति अपने पास रिकार्ड के लिए रखेगा तथा दूसरी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए, आवेदन पत्र के साथ दिये गये लिफाफे में रखकर परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सूचना पुस्तिका में निर्धारित तिथि के अन्दर हाथो हाथ या पंजिकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा जमा करेगा, अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना होगा कि चालान को आवेदन पत्र के साथ नत्थी (स्टेपल्ड) नहीं करनी चाहिए। चूँकि आवेदन पत्र का प्रासेस कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ बिना स्टेपल्ड किये हुए चालान को लिफाफे में रखना चाहिए, चालान में अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम कूट संख्या तथा आवेदन पत्र सं0 एवं अन्य सम्बन्धी सूचनाएं भरनी होगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि अत्यंत सावधानी पूर्वक इन संख्याओं को भरे क्योंकि इन संख्याओं के भरने में त्रुटि होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा। इसी प्रकार बैंक द्वारा प्रदत्त चालान ''जर्नल संख्या'' तथा धनराशी जमा करने की तिथि आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान में भरे होने चाहिए एवं जर्नल संख्या तथा धनराशी जमा करने की तिथि भरने के उपरान्त आवेदन पत्र परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविधालय में जमा करना चाहिए।

7. आवेदन पत्रों के विक्रय एवं जमा करने की महत्वपूर्ण तिथियाँ

कार्यालय पटल से आवेदन पत्र के विक्रय की प्रारम्भिक तिथि	*15.02.2011*
कार्यालय पटल से आवेदन पत्र के विक्रय की अन्तिम तिथि	*15.03.2011*
प्रपूरित आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि (बिना विलम्ब शुल्क के)	*08.03.2011*
प्रपूरित आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि (विलम्ब शुल्क के साथ)	*15.03.2011*

इस वर्ष आन लाइन फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसके लिए विस्तृत जानकारी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.bhu.ac.in. पर देखे।

नोटः I. बिना विलम्ब शुल्क के प्रपूरित आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि *08.03.2011* है। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो अपना आवेदन पत्र दिनांक *08.03.2011* या उसके पूर्व जमा करने में समर्थ नही होते है वे भी अपना आवेदन पत्र *15.03.2011* तक निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रू0 150/– *चालान द्वारा* जमा कर सकता है।

II. *यदि अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पिड पोस्ट द्वारा अंतिम तिथि 08.03.2011 तक या इसके पहले बिना विलम्ब शुल्क अथवा 15.03.2011 तक या इसके पहले विलम्ब शुल्क के साथ भेजता है तो परीक्षा नियंता कार्यालय में आवेदन पत्र के प्राप्ति के लिए निर्धारित उपरोक्त अन्तिम तिथियों के सात दिन के अन्दर स्वीकार किया जायेगा।*

8. प्रवेश परीक्षा केन्द्र

परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त होः

वाराणसी	दिल्ली	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद

टिप्पणीः (i) बी.पी.एड., बी.एफ.ए., बी.म्यूज./बीपीए एवं शास्त्री (आनर्स) की प्रवेश परीक्षा केवल वाराणसी में होगी। (ii) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को वाराणसी केन्द्र ही आवंटित किया जायेगा। (iii) वाराणसी के अतिरिक्त किसी अन्य परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने का अधिकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। अतएव, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में वरीयता क्रम से तीन केन्द्रों का चयन करना चाहिये। (iv) अभ्यर्थियों को ध्यान रहे कि एक बार आवंटित परीक्षा केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जायेगा। (v) आवंटित परीक्षा केन्द्र का उल्लेख प्रवेश पत्र में होगा। (vi) परीक्षा केन्द्र के आवंटन का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। (vii) अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या एवम् किसी अन्य कारण से कोई भी बाह्य परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जा सकता है। उस स्थिति में अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्र आवंटित किया जायेगा।

9. आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र बड़े अक्षरों में रोशनाई या बाल पेन से (कैपिटल लेटर) में (हस्ताक्षर और पता के अतिरिक्त) अपने हस्तलेखन में भरा जाना चाहिये। (पेंसिल द्वारा भरा हुआ फार्म स्वीकार नही किया जायेगा)। जहाँ भी कोई सूचना बाक्स में लिखी जानी है वहाँ एक बाक्स में एक ही अक्षर लिखा जाना चाहिये। बड़े अक्षरों में नाम लिखते समय नाम के प्रथम व मध्य शब्दों के बीच तथा मध्य और अन्त शब्दों के बीच या संक्षिप्त नाम के बीच एक बाक्स रिक्त छोड़कर लिखा जाना चाहिये। आवेदन पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम,माता का नाम और जन्म–तिथि आदि का उल्लेख कक्षा 10/हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुरूप करें। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर उनकी पात्रता निरस्त कर दी जा सकती है।
जो प्रश्न/बिन्दु आपसे सम्बन्धित है उनमें दी जाने वाली सूचनाओं हेतु उपयुक्त गोले को काला करें, जबकि शेष गोलों को खाली छोड़ दे।

विशेषः आवेदन फार्म पर फार्म का नम्बर बायें शीर्ष पर अंकित है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिकार्ड हेतु फार्म नम्बर याद रखें जिसकी आवश्यकता भविष्य में पत्राचार हेतु पड़ सकती है।

टिप्पणीः आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में भरना ही समीचीन होगा।

1. पाठ्यक्रम का नामः सूचना पुस्तिका में प्रत्येक पाठ्यक्रम की न्यूनतम वांछित अर्हता का वर्णन करते समय, पाठ्यक्रम का नाम भी दिया गया है। जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना है उसका नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें। अभ्यर्थी द्वारा लिखा गया पाठ्यक्रम का नाम ही अंतिम होगा। बी0एड0/बी0एड0(स्पे0) हेतु आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता योग्यता के अनुसार वर्ग का चयन करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे अभ्यर्थी केवल एक वर्ग चुनेंगे और यदि वर्ग एक बार निर्धारित हो चुका है तो उनके पास उस वर्ग को बदलने का कोई विकल्प नही होगा। पात्रतानुसार विषय समूह का चयन न करना और/अथवा चयनित वर्ग में परीक्षा न देने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में एक बार चयनित वर्ग ही अन्तिम है।

2. पाठ्यक्रम की dwV la[;k% सूचना पुस्तिका में न्यूतनम आवश्यक अर्हता वर्णन करते समय पाठ्यक्रम कूट संख्या भी दिये गये है। जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है उस पाठ्यक्रम का उपयुक्त पाठ्यक्रम कूट संख्या निर्धारित उपयुक्त तीन खानों में देना आवश्यक है। पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम की कूट संख्या में भिन्नता होने पर पाठ्यक्रम का नाम ही अंतिम होगा।

कूट संख्या के नीचे दिये गये गोलों में से 3 सम्यक गोलों को काला करें जैसा नीचे उदाहरण में दिया गया हैः

उदाहरण 1 : यदि बी.एस.–सी. (आनर्स) जीव विज्ञान समूह की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना है तो लिखें पाठ्यक्रम का नाम, कूट संख्या निम्न प्रकार लिखें और गोले को भी भरें।

पाठ्यक्रम का नाम

बी.एस.–सी. (आनर्स) जीव विज्ञान समूह

कूट संख्या

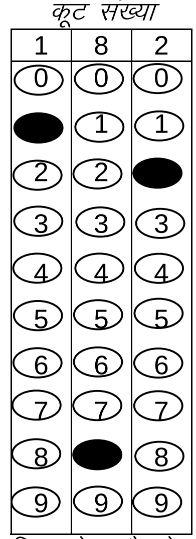

उदाहरण 2 : यदि बी0 एड0 (जीव विज्ञान समूह) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना है तो लिखें पाठ्यक्रम का नाम, कूट संख्या निम्न प्रकार लिखें और गोले को भी भरें। ।

पाठ्यक्रम का नाम

बी0 एड0 (जीव विज्ञान समूह)

कूट संख्या

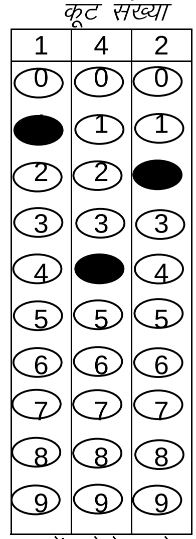

3. फोटोग्राफ : अभ्यर्थी हाल ही में खिंचवाया गया कलर फोटो, दिये गये बाक्स में चिपकायें। ऐसे आवेदन पत्र जिनपर फोटोग्राफ की जिराक्स प्रति लगी हो निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश होने की दशा में भविष्य में प्रयोग के लिये पर्याप्त संख्या (छः कापी) अपना वही फोटोग्राफ रखने का परामर्श दिया जाता है। फोटोग्राफ हल्के पृष्ठभूमि के सापेक्ष सम्पूर्ण चेहरे के अग्रभाग की समस्त आकृतियों को

दर्शानेवाला एवं अद्यतन होना चाहिये। आँख एवं कान दृश्य होने चाहिये। रंगीन अथवा काले चश्मों में खिचवाए फोटो स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. *भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत चालान का विवरणः*
इसके लिए निर्धारित बाक्स में जारी करने वाले शाखा का नाम, पता एवं कोड संख्या, जर्नल संख्या, धनराशि एवं दिनांक का उल्लेख करें।

5.. अभ्यर्थी का नाम : बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिये (जैसा नीचे दर्शाया गया है) और जैसा ऊपर निर्देशित है। दो शब्दों के बीच में एक बाक्स छोडकर। नाम के पहले मि0, कु0, कुमारी आदि न लिखें।
उदाहरण : यदि आपका नाम स्वाति प्रिया निशिकान्त है तो लिखे

S	W	A	T	I		P	R	I	Y	A			N	I	S	H	I	K	A	N	T						

6.. पिता का नाम : यहाँ पिता का नाम बड़े अक्षरों में लिखें, जैसा ऊपर निर्देशित है।
7. माता का नाम : यहाँ माता का नाम बड़े अक्षरों में लिखें, जैसा ऊपर निर्देशित है।
8.. जन्मतिथि : अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार तथा हाईस्कूल/सेकेण्ड्री/कक्षा 10 के प्रमाण–पत्र में लिखित जन्मतिथि के अनुसार अपने जन्म का दिनांक, माह व वर्ष लिखें।

उदाहरण 1 : यदि 31 मई सन् 1989 को जन्म हुआ है तो इस प्रकार लिखा जायेगा।	3	1	0	5	1	9	8	9
उदाहरण 2 : यदि 5 जून सन् 1989 को जन्म हुआ है तो इस प्रकार लिखा जायेगा।	0	5	0	6	1	9	8	9
उदाहरण 3 : यदि 25 दिसम्बर सन् 1989 को जन्म हुआ है तो इस प्रकार लिखा जायेगा।	2	5	1	2	1	9	8	9

9. लिंग : यदि आप पुरूष अभ्यर्थी है तो पुरूष हेतु निर्मित गोले को काला करें तथा महिला हेतु दिये हुए दूसरे गोले को खाली छोड़ दे। यदि आप महिला अभ्यर्थिनी है तो महिला हेतु निर्मित गोले को काला करें तथा पुरूष हेतु दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।

उदाहरण 1 : माना कि आप एक महिला अभ्यर्थिनी है तो आप गोले को इस प्रकार काला करें।
पुरूष ○ महिला ●

उदाहरण 2 : माना कि आप एक पुरूष अभ्यर्थी है तो आप गोले को इस प्रकार काला करें।
पुरूष ● महिला ○

10. क्या आप अनुसूचित जाति (अ0 जा0) श्रेणी से सम्बन्धित हैं : यदि आप अनुसूचित जाति (अ0 जा0) श्रेणी के है तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप अनुसूचित जाति (अ0 जा0) श्रेणी के नहीं है तो नहीं वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।

11. क्या आप अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0) श्रेणी से सम्बन्धित हैं : यदि आप अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0) श्रेणी के है तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0) श्रेणी के नहीं है तो नहीं वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।

12. क्या आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि व0) से सम्बन्धित हैं : यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि0 व0) के है तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि0 व0) श्रेणी के नहीं है तो नहीं वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। (नोटः– अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग [अ0 पि0 व0] के अन्तर्गत दावा कर रहा है तो उसे क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नही होना चाहिए)।

13. क्या आप का0 हि0 वि0 वि0 कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग से सम्बन्धित हैं : यदि आप का0 हि0 वि0 वि0 कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के है तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप का0 हि0 वि0 वि0 कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के नहीं है तो नहीं वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।

14. क्या आप शारीरिक विकलांगता (शा0 वि0) वर्ग से सम्बन्धित हैं : यदि आप शारीरिक विकलांगता श्रेणी के अन्तर्गत आते है तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें और यदि आप शारीरिक विकलांगता वर्ग के नहीं हैं तो नहीं वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।

यदि आप शारीरिक विकलांगता वर्ग के हैं तो आपको शारीरिक विकलांगता के प्रकार से सम्बन्धित जानकारी भी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप अस्थि विकलांगता एवं दृष्टि विकलांगता के हैं तो आपको अस्थि एवं दृष्टि विकलांग वाले गोले को काला करना चाहिए। यदि आप केवल अस्थि विकलांग हैं तो केवल अस्थि विकलांग वाले गोले को काला करना चाहिए और दूसरे दो गोलों को खाली छोड़ देना चाहिए।
यदि आप शारीरिक विकलांगता वर्ग के नहीं है तो अस्थि, दृष्टि/वधिर विकलांगता से सम्बन्धित गोलों को खाली छोड़ देना चाहिए।

टिप्पणीः– एक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रतिपाल्य, शारीरिक विकलांगता वर्ग में से एक से अधिक वर्गों से सम्बन्धित हो सकता है। इस दशा में उसे सम्बन्धित वर्गों के हाँ वाले गोलों को काला करना चाहिए।

15. क्या आप खेल सीट के लिए दावेदार हैं: यदि आप 'खेल सीट' के दावेदार है, तो हाँ वाले गोले को काला करें और अन्य गोलों को खाली छोड़ें। यदि आप खेल सीट के लिए दावा नहीं करते हैं, तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें और अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।

16. प्रवेश परीक्षा केन्द्रों का चयन : कुल पांच प्रवेश परीक्षा केन्द्र – वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद है। आप अपनी वरीयतानुसार तीन केन्द्रों का चयन प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता तथा तृतीय वरीयता के केन्द्रों के रूप में करें।
इस सन्दर्भ में प्रथम वरीयता हेतु आप उस नगर से सम्बन्धित गोले को काला करें जो कि परीक्षा केन्द्र हेतु आपकी प्रथम वरीयता है (उस स्तंभ के अन्य चारों गोलों को प्रथम वरीयता हेतु खाली रखें)। उसी प्रकार द्वितीय वरीयता हेतु उस नगर के गोले को काला करे जो आपकी द्वितीय वरीयता हो (उस स्तंभ के अन्य चारों गोलों को द्वितीय वरीयता हेतु खाली रखें) उसी प्रकार तृतीय वरीयता हेतु उस नगर के गोले को काला करें जो आपकी तृतीय वरीयता हो (उस स्तंभ के अन्य चारों गोलों को तृतीय वरीयता हेतु खाली रखें) यद्यपि आप नोट करें कि (i) बी0 पी0 एड0, बी0 एफ0 ए0, बी0 म्यूज/बीपीए तथा शास्त्री (आनर्स) की परीक्षा केवल वाराणसी केन्द्र पर ही होगी। (ii) नेत्रहीन अभ्यर्थियों को केवल वाराणसी केन्द्र निर्धारित किया जायेगा। (iii) बिना कारण बताये वाराणसी केन्द्र छोड़कर किसी भी केन्द्र को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास निहित है। इसलिए अभ्यर्थी तीन केन्द्रों का चयन वरीयता के आधार पर अपने आवेदन पत्र में करें (iv) अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि परीक्षा केन्द्र जो एक बार निर्धारित किया जा चुका है कि वह निरस्त नही किया जायेगा। (v) प्रवेश पत्र पर केन्द्र अंकित होगा। (vi) किसी अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र का निर्धारण का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के पास निहित होगा।

17. अभ्यर्थी का नाम और पूरा पता : यहाँ पर अपने व्यावहारिक हस्तलिपि में पत्राचार के लिए अपना नाम और पूरा पता लिखे।
ध्यान दे कि आप द्वारा दिया गया पत्राचार का पता आपके प्रवेश पत्र एवं अन्य पत्र (यदि कोई) हो तो भेजने हेतु प्रयोग किया जायेगा। यदि आप द्वारा दिये गये पते में कोई भी परिवर्तन होता है तो, परीक्षा नियंता कार्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा आपके आवेदन पत्र से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के पत्राचार की जानकारी हेतु, अपने द्वारा दिये गए पत्राचार के पते के सदैव सम्पर्क में रहे।

18. घोषणा (हस्ताक्षर सहित) : घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें एवं उसके पश्चात अपना व्यावहारिक हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर घोषणा के नीचे दिये गये निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य करें। आपका हस्ताक्षर आपकी पहचान को दर्शाता है।

19. अभ्यर्थी का हस्ताक्षरः हस्ताक्षर हेतु आप आपने सामान्य हस्तलिपि में दिये गये बाक्स में हस्ताक्षर करें। यहाँ पर किया गया हस्ताक्षर प्रवेश पत्र बनाने में प्रयोग किया जायेगा।

20. अभ्यर्थी का नाम और पूरा स्थायी पता : यहाँ पर अपने हस्तलिपि में अपना नाम और पूरा स्थायी पता टेक्स्ट फार्म में यथा प्रत्येक खाने में अंग्रेजी के केवल एक बड़े अक्षर में ही लिखे। (जैसा कि अभ्यर्थी नाम, पिता तथा माता का नाम लिखा है)

सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए सूचना

21. राज्य जिससे सम्बन्धित हों का उल्लेख करें: दिये गये दो खानों में अपने राज्य का कोड लिखें (नीचे राज्यों के नाम व कोड दिये गये हैं) यह सूचना केवल सांख्यिकी आकड़ों के उद्देश्य से ली जा रही है।

राज्य	कोड	
उत्तर प्रदेश	1	1
बिहार	1	2
झारखण्ड	1	3
पश्चिम बंगाल	1	4
आन्ध्र प्रदेश	1	5
अरुणाचल प्रदेश	1	6
आसाम	1	7
छत्तीसगढ़	1	8
गोआ	1	9
गुजरात	2	0
हरियाणा	2	1
हिमाचल प्रदेश	2	2
जम्मू और कश्मीर	2	3
कर्नाटक	2	4
केरल	2	5
मध्य प्रदेश	2	6

राज्य	कोड	
महाराष्ट्र	2	7
मणिपुर	2	8
मेघालय	2	9
मिजोरम	3	0
नागालैण्ड	3	1
उड़ीसा	3	2
पंजाब	3	3
राजस्थान	3	4
सिक्किम	3	5
तमिलनाडु	3	6
त्रिपुरा	3	7
उतरांचल	3	8
चंडीगढ़	3	9
दिल्ली	4	0
अन्य केन्द्र शासित	4	1

22. आपका सामान्य निवास स्थान : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोले को खाली छोड़ दें।

23. धर्म : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।

24. रक्त समूह (यदि ज्ञात हो) : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।

25. जाति वर्ग : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।

26. माता–पिता/अभिभावक की औसत मासिक आय (रू0 में लगभग): उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।

27. बी0 एच0 यू0 से आपके निवास स्थान की दूरी (लगभग कि0मी0 में): उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोले को खाली छोड़ दें।

टिप्पणीः अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा प्रवेश आवेदनपत्र के सभी खानों को स्वहस्तलिपि में भरना है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदनपत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वहस्तलिपि में नहीं भरा/हस्ताक्षरित किया गया है तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। एक से अधिक पाठ्यक्रमों में आवेदन करने पर प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक प्रपत्र अलग–अलग संलग्न करना होगा।

10. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची

(I) अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण (प्रलेख) संलग्न करना आवश्यक है।

(i) *निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निगर्त चालान।*

(ii) आवेदन पत्र में जिस संवर्ग के लिए आरक्षण की माँग आप द्वारा की गयी है उसके समर्थन में प्रमाणपत्र :

(क) सूचना पुस्तिका में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित जाति के प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति अनुभाग 5 सूचना पुस्तिका में दर्शाया गया है (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये)।

(ख) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से (स्व प्रमाणित) विकलांगता प्रमाण पत्र (केवल शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिये)।

(ग) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए सम्बन्धित निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्या, महिला महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गमित स्थायी कर्मचारी होने का प्रमाणपत्र (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये)। इस अधिनियम के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का 'कर्मचारी पुत्र/पुत्री प्रमाणपत्र' विश्वविद्यालय अभिलेखों द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(घ) 'खेल सीट' के समर्थन में प्रमाण पत्र(त्रों) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (यदि खेल सीटों के लिए दावेदार हैं)।

(ड.) बी0 पी0 एड0 प्रवेष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिएः

(i) स्व प्रमाणित उच्चतम स्तर के खेलकूद में प्रतिभागिता के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

(II) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रमाणपत्रों को निम्नलिखित क्रम में रखना चाहिये :

(अ) आवेदन पत्र (दिये गये लिफाफे में रखिये)

(ब) (i) *निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निगर्त चालान।*

(ii) आरक्षित श्रेणी/अतिरिक्त सीट (यदि कोई हो) के स्व प्रमाणित सभी प्रमाणपत्र जो वर्गोकी मांग के समर्थन में हो।

नोटः– अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भरे हुए आवेदन पत्र, *चालान* एवं अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) को दिये हुए लिफाफे में रखें। कृपया नोट करें कि *चालान* एवं अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई) आवेदन पत्र के साथ नत्थी/स्टेपल न किये जाए। आवेदन पत्र को लिफाफे में इस प्रकार रखा जाय कि आवेदन पत्र का क्रमांक लिफाफे में बने विंडो कटे भाग से दृश्य हो।

11. आवेदन पत्र के अस्वीकृत होने के कारण

(i) *निर्धारित प्रवेश शुल्क के लिए ''परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय'' के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निगर्त चालान का न जमा करना।*

(ii) आरक्षित श्रेणी/अतिरिक्त सीट (यदिकोई हो) के संबंध में स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न न करना।

(iii) आवेदन पत्र पर फोटो का चस्पा न होना (फोटोग्राफ की जिराक्सड कापी का चस्पा होने की दशा में भी अस्वीकृत होगा)।

(iv) आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का न होना।

(v) आवेदन पत्र एवं/अथवा समर्थक प्रलेख को किसी प्रकार से विकृत करना।

(vi) किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को मिटाकर नयी प्रविष्टियां भरने पर।

(vii) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रियायती दर पर जमा प्रवेश शुल्क किसी भी स्थिति में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रयोग हेतु मान्य नहीं होगा।

नोटः– यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु अर्ह नही है, तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। कृपया ध्यान दे कि आवेदन पत्र, न्यूनतम आवश्यक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, संवर्ग आदि अभिलेखो को विस्तृत जांच प्रवेश के समय यदि अभ्यर्थी को बुलाया गया तो की जायेगी। अभ्यर्थी का अभ्यर्थन यदि वह अर्ह नही होगा तो उस समय भी निरस्त हो जायेगा।

12. परीक्षण सूची

आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व निम्नलिखित की विस्तृत जाँच कर लें:

(i) क्या आपने कलर छाया–चित्र (फोटो) आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर चस्पा कर दिया है?

(ii) क्या आपने आवेदन पत्र के सभी स्तम्भों की सावधानी पूर्वक जाँच कर ली है ? कोई स्तम्भ रिक्त तो नहीं है?

(iii) क्या आपने उचित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिया है?

(iv) क्या आपने *निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निगर्त चालान* संलग्न कर दिये हैं?

(v) क्या आपने आरक्षण के लिए संवर्ग (कैटेगरी)/अतिरिक्त सीटों के समर्थन में लिखित साक्ष्य संलग्न किया है?

(vi) क्या आपने बोनस अंक प्राप्त करने हेतु अपने द्वारा उच्चतम स्तर के खेलकूद प्रतिभागिता सम्बन्धित स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया है (केवल बी0 पी0 एड0 के अभ्यर्थियों हेतु)?

(vii) क्या आपने स्पोंट सीट के अन्तर्गत प्रवेष हेतु स्पोंट सीट के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया है?

टिप्पणी : आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य कर दें।

13. आवेदन पत्र जमा करना

(अ) प्रपूरित आवेदन–पत्र और अन्य संलग्नक साथ में दिये गये लिफाफे में परीक्षा नियंता कार्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में 08.03.2011 (बिना कोई विलम्ब शुल्क के साथ) तक जमा कर सकते हैं। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो वे भी अपना आवेदन पत्र 15.03.2011 तक निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रू0 150/– के साथ जमा कर सकता है। अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय पटल पर आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, उन्हें पावती स्लिप दी जायेगी।

(ब) आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करने पर भी स्वीकार्य किये जायेगे। यदि अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा अंतिम तिथि 08.03.2011 तक या इसके पहले बिना विलम्ब शुल्क अथवा 15.03.2011 तक या इसके पहले विलम्ब शुल्क के साथ भेजता है तो परीक्षा नियंता कार्यालय में आवेदन पत्र के प्राप्ति के लिए निर्धारित उपरोक्त अन्तिम तिथियों के सात दिन के अन्दर स्वीकार किया जायेगा।

(i) आवेदन पत्र कार्यालय पटल पर बिना किसी जाँच के प्राप्त किये जायेगे। उनकी वैधता बाद में की गयी जाँच पर निर्भर होगा।

(ii) किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र *उपरोक्त* अंतिम तिथि के बाद प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

(iii) अपूर्ण आवेदन पत्र, ऐसे आवेदन पत्र जिन पर अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं तथा आवेदन पत्र जो अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किये गये है, पर विचार नहीं होगा। आवेदन–पत्र जिन पर अभ्यर्थियों की फोटो नहीं लगीं हैं अथवा फोटो की छायाप्रति लगी हैं, उन पर भी विचार नहीं होगा। आवेदन पत्र जिसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नही हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। विश्वविद्यालय डाक में देरी अथवा आवेदन पत्र खोने का जिम्मेदार नहीं होगा।

इस वर्ष आन लाइन फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसके लिए विस्तृत जानकारी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.bhu.ac.in. पर देखे।

14. प्रवेश पत्र प्रेषण

अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अस्थायी (Provisional) प्रवेशपत्र दर्शाये गये परीक्षा केन्द्र के साथ केवल पंजीकृत डाक/स्पीड डाक से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपने हाथ द्वारा लिखित पते पर ही भेजा जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर अपना नाम, पूरा पता पिन कोड सहित स्पष्ट अक्षरों में लिखें, जहां वे *अप्रैल–मई माह में प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते* हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये गलत अथवा अपूर्ण पते के कारण हुई देरी अथवा डाक की देरी अथवा डाक में प्रवेश पत्र खोने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी। परीक्षा नियंता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वैध प्रवेशपत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेशपत्र या कोई सूचना परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व तक परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है उसे फोन नं. *0542–2368418, 0542–2307255, 0542–2307256, 0542–2307257, 6701490, 6702696, 2369040* पर सम्पर्क करना चाहिये। यदि अभ्यर्थी वाराणसी केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो तो परीक्षा के एक दिन पूर्व उपयुक्त प्रमाण पत्र देकर परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रवेशपत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता/सकती है। प्रवेशपत्र की प्रतिलिपि पर वैसा ही फोटो लगाना होगा जैसा कि आवेदन पत्र पर लगाया गया है (आवेदन पत्र पर चस्पा करें) वाराणसी के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व संम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष से उपयुक्त प्रमाण पत्र तथा एक प्रति फोटो (जैसा कि आवेदन पत्र में चिपकाया गया है) प्रस्तुत करके, प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता/सकती है।

परीक्षा के दिन प्रवेशपत्र की प्रतिलिपि परीक्षा नियंता कार्यालय का.हि.वि.वि. से निर्गत नहीं की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र इन्टरनेट से डाउनलोड करने की योजना विश्वविद्यालय के विचाराधीन है अन्तिम वस्तुस्थिति जानने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनको परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र न प्राप्त हुए हो वे विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.bhu.ac.in. का अवलोकन कर उपरोक्त सुविधा की जानकारी प्राप्त कर सकते है, यदि यह सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बेवसाइट में दिये गये विधियों को अपनाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है।

टिप्पणी :

(i) प्रवेश परीक्षाएं मई *के तीसरे – चौथे सप्ताह, 2011 के* बीच सपन्न होंगी। प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम इस सूचना पुस्तिका के अंत में दिये गये हैं। स्थान से सम्बन्धित जानकारी प्रवेश पत्र के साथ भेजी जायेगी। (ii) परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वैध प्रवेशपत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। (iii) परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे अपना प्रवेशपत्र प्रवेश होने तक सुरक्षित रखें। (iv) स्नातक प्रवेश परीक्षा एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय का नियम अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

15. प्रश्न पत्र की अवधि एवम् प्रारुप

(i) बी.ए. (आनर्स) कला

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, पौधों व पशुओं से सम्बन्धित प्रारम्भिक ज्ञान, पर्यावरण व पर्यावरण प्रदूषण, मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य, सामान्य रोग, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य व कच्चे माल का उत्पादन, सौर मण्डल, जलवायु एवं ऋतु, प्राकृतिक संसाधन व उद्योग, इतिहास, भारतीय संस्कृति व परंपरा से सम्बन्धित मुख्यतया विचारधारा, साहित्य एवं कला पर आधारित होंगे। प्रश्नपत्र में दो सेट के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा–परिज्ञान के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा सेट के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, दोनों के नहीं। प्रश्न पत्र का स्तर +2 परीक्षा अथवा उसके समकक्ष होगा।

(ii) बी0 ए0 (आनर्स) सामाजिक विज्ञान :

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, विस्तार समझने की क्षमता, प्रमुख विषयों की जानकारी एवं पौधों व पशुओं, पर्यावरण व पर्यावरण प्रदूषण, मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य, सामान्य रोग, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य व कच्चे माल का उत्पादन, सौर मण्डल, जलवायु एवं ॠतु, प्राकृतिक संसाधन व उद्योग, इतिहास, राजनीति शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, मनोविज्ञान एवम् अर्थशास्त्र। प्रश्नपत्र में दो सेट के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा–परिज्ञान के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा सेट के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, दोनों के नहीं। प्रश्न पत्र का स्तर +2 परीक्षा अथवा उसके समकक्ष होगा।

(iii) बी.काम. (आनर्स)/*बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट* पाठ्यक्रम :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न–पत्र होगा जो + 2 परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर का होगा। जिसमें (अ) एकाउन्टिंग तथा व्यापारिक संगठन (ब) अर्थशास्त्र तथा मुद्रा बैंकिंग (स) गणित (द) सामान्य ज्ञान तथा सामयिक कारोबार (य) प्रश्नपत्र में दो सेट के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा–परिज्ञान के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा सेट के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, दोनों के नहीं।

(iv) बी.एस.–सी. (आनर्स) (गणित समूह के लिये) :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा जो + 2 परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर का होगा। इसमें तीन खण्ड होंगे : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित तथा प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे।

(v) बी.एस.–सी. (आनर्स) (जीव विज्ञान समूह के लिये) :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंको का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा जो + 2 परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर का होगा। इसमें तीन खण्ड होंगे : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तथा प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे।

(vi) शास्त्री (आनर्स) पाठ्यक्रम :

90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट) की समयावधि का 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिन्दी तथा संस्कृत भाषा के मध्यमा/10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा स्तर के ज्ञान पर आधारित होंगे।

(vii) बी.एस.–सी. (कृषि.) पाठ्यक्रम :

120 मिनट (2 घंटा) समयावधि का 300 अंकों का 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रश्न पत्र 10+2 अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। प्रश्नपत्र में निम्नलिखित 5 खण्ड होंगेः I. मानसिक दक्षता–25 प्रश्न; II. रसायन – 25 प्रश्न; III. भौतिकी एवं गणित–50 प्रश्न; IV. वनस्पति एवं जन्तुशास्त्र–50 प्रश्न; V. कृषि विज्ञान–50 प्रश्न। परीक्षार्थी को कुल 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खण्ड I एवं II सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य हैं जबकि खण्ड III, IV व V से केवल एक ही खण्ड करना होगा।

(viii) बी.एड./बी.एड. (स्पेशल) पाठ्यक्रम :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) समयावधि का 300 अंकों का एक 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रश्न पत्र जो दो भागों में निम्नलिखित रूप से विभक्त होगा :

(अ) 30 बहुविकल्पीय प्रश्न – शिक्षण अभिवृत्ति, तार्किक योग्यता, समसामयिकी शैक्षिक परिदृश्य।

(ब) 70 बहुविकल्पीय प्रश्न – प्रत्येक विषय समूह यथा भाषा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के होंगे। अभ्यर्थी को उसी विषय समूह में परीक्षा देना होगा जिसे उसने अपनी अर्हता के आधार पर आवेदन पत्र में भरा है। प्रत्येक समूह 70 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। प्रश्नों का विभाजन विभिन्न समूहों में निम्न प्रकार से होगा :

भाषा समूह– हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के समतुल्य प्रश्न जीव विज्ञान– प्राणि विज्ञान, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा गृह विज्ञान के समतुल्य प्रश्न भौतिक विज्ञान– भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा गणित के समतुल्य प्रश्न गणित– गणित से प्रश्नों की अधिकता। मानविकी और सामाजिक विज्ञान– इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य के समतुल्य प्रश्न।

टिप्पणीः अभ्यर्थी को अपनी अर्हतानुसार विषयसमूह के चुनाव की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। बी0 एड0/बी0 एड0 (स्पेशल) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को एक बार विषय समूह आबंटित होने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। पात्रतानुसार विषय समूह का चयन न करना और/अथवा चयनित वर्ग में परीक्षा न देने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में एक बार चयन ही अंतिम होगा।

(ix) एल.एल.बी. पाठ्यक्रम :

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य जानकारी तथा सामयिक घटनाक्रम, सामान्य कानूनी ज्ञान, अभिरुचि एवं मानसिक योग्यता सम्बन्धी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में से केवल एक का उत्तर देना है।

(x) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम :

90 मिनट (1 घटा 30 मिनट) की समयावधि का 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न सामान्य अध्ययन, दक्षता परीक्षण और समसामयिकी खेलों पर आधारित सामान्य ज्ञान सम्बन्धित प्रष्नपत्र होंगे। सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल फिटनेस परीक्षण (संषोधित एएएचपीईआर फिटनेस परीक्षण) जो कि 300 अंकों का होगा तथा परीक्षा नियंता द्वारा नियुक्त वाहय परीक्षकों द्वारा केवल शारीरिक शिक्षा विभाग, बी0 एच0 यू0, वाराणसी में परीक्षा नियंता या उनके प्रतिनिधि(यों) के देखरेख में सम्पन्न होगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को सम्मलित होना अनिवार्य होगा।

नोटः– 1. अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अर्ह होने हेतु लिखित एवं फिजिकल फिटनेस परीक्षण दोनों में सम्मलित होना अनिवार्य होगा।

2. अभ्यर्थी को खेलकूद हेतु बोनस अंक प्राप्त करने के गणना हेतु फिजिकल फिटनेस परीक्षण के समय अपने द्वारा उच्चतम स्तर के खेलकूद प्रतिभागिता सम्बन्धित प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी दिखाना होगा।

3. फिजिकल फिटनेस परीक्षण का कन्वर्जन फारमूला परीक्षण के समय उपलब्ध रहेगा।

(xi) बी0 म्यूज [(कंठ/वाद्य संगीत– सितार, बाँसुरी, वायलिन, तबला)/बीपीए (नृत्य– कथक/भरतनाट्यम)]

120 मिनट अवधि का 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र कंठ, वाद्य, नृत्य, प्रत्येक के लिए होगा तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 45 मिनट की अवधि की 600 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा (मंचन एवं मौखिक) होगी।

टिप्पणी : प्रश्न त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कंठ, वाद्य और नृत्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के समकक्ष परीक्षा पर आधारित होगें।

(xii) बी.एफ.ए. पाठ्यक्रम :

इस परीक्षा में एक लिखित प्रश्नपत्र तथा दो प्रयोगात्मक परीक्षायें होंगी :–

45 मिनट अवधि का 150 अंकों की लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के दृश्यकला सम्बन्धी सामान्य जानकारी (चित्रकला, मूर्ति कला, वाणिज्य कला/प्रयुक्त कला, मृदभाण्ड, मृत्तिका शिल्प एवं वस्त्रांकन) पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। अधोलिखित दो प्रयोगात्मक परीक्षायें होंगी–

(अ) 90 मिनट अवधि की 150 अंकों की किसी विषय वस्तु की पेंसिल से लाइट एवं शेड युक्त ड्राइंग।

(ब) 90 मिनट अवधि की 150 अंकों की कल्पना पर आधारित स्मृति ड्राइग जिसे अभ्यर्थी किसी भी माध्यम यथा पेंसिल, रंगीन पेंसिल, पेस्टल, क्रेयान, वाटर कलर, पोस्टर कलर आदि से बना सकते हैं।

16. प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि

(i) परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न–पुस्तिका तथा अलग से उत्तर–पत्र दिये जायेंगे।

(ii) प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उसके प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(iii) परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक प्रश्नपत्र एवं उत्तरपत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्याही/बालपेन से लिख लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना अनुक्रमांक उत्तरपत्र के अधोभाग में उपयुक्त वृत्त में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से अंकित करना चाहिये तथा उत्तर पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्याही/बाल पेन से प्रश्नपत्र पुस्तिका संख्या तथा सेट संख्या (यदि हो) अंकित करना चाहिये।

(iv) परीक्षार्थी को स्याही/बालपेन से अनुक्रमांक एवं प्रश्नपत्र उत्तरपत्र की क्रमसंख्या प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करना है।

(v) प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर 1,2,3 तथा 4 होंगे। परीक्षार्थी को उनमें जिसे सही उत्तर समझता है, उसका चयन करना है। उत्तरपत्र के प्रथम पृष्ठ पर वर्णित निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी द्वारा उपयुक्त उत्तर को उसके सही वृत्त में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से दर्शाना है। उदाहरण के लिये यदि प्रश्न संख्या 15 के 4 वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3) तथा (4) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिये (2) का चयन कर सकता है तो उसे उपयुक्त वृत्त में निम्नोक्त प्रकार से दिखाया जाना चाहिये।

प्रश्न संख्या 15 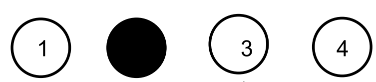

(vi) यदि परीक्षार्थी एक से अधिक वृत्त को रंगता है तो उसका उत्तर गलत समझा जायेगा तथा यदि वृत्त को काला करने की प्रक्रिया में असमानता है अर्थात् उसके द्वारा प्रत्येक प्रश्नोंत्तरों के लिये बनाये गये काले वृत्त में एकरुपता नहीं हैं तो भी गलत उत्तर समझा जायेगा। मार्किंग के लिये अपनायी गयी अन्य विधियां, यथा टिक मार्क, क्रास मार्क, बिन्दु का प्रयोग, लाइनमार्क तथा आधे भरे हुये वृत्त व वृत्त के बाहर बनाये गये मार्क का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(vii) परीक्षार्थी द्वारा हल न किये जाने वाले प्रश्नों के उत्तर वृत्तों को रिक्त छोड़ देना चाहिये।

(viii) परीक्षा पुस्तिका के शीर्ष आवरण के अंतर्वर्ती पृष्ठ या परीक्षा पुस्तिका के अंत के स्थान/पृष्ठ अस्वच्छ लेखन कार्य (रफ कार्य) के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं।

(ix) परीक्षा पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ का फाड़ना या हटाना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अनुचित साधनों के उपयोग करने की सजा का भागी होगा।

नोटः *(अ) यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर अनुक्रमांक, सेट सं0 इत्यादि लिखने में/भरने में त्रुटि करता है तो त्रुटि निवारण की कोई गुंजाइश नही होगी तथा उत्तर पुस्तिका तथानुसार मूल्याकिंत होगी।*

(ब.) i. प्रवेश परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका प्रदान कर दी जायेगी।

ii. प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त साधारणतः 4–5 दिन के अंदर विश्वविधालय वेवसाइट ***www.bhu.ac.in*** *पर प्रश्न एवं उनके प्राविजनल उत्तर (कुंजी) प्रदर्शित कर दिये जायेगे।*
iii. यदि प्रश्न/उत्तर के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हो तो अभ्यर्थी को विश्वविधालय वेवसाइट ***www.bhu.ac.in*** *पर प्राविजनल कुंजी के प्रदशर्न के उपरान्त 5 दिन का समय दिया जायेगा ताकि वे अपना/अपनी शिकायत परीक्षा नियंता कार्यालय में दर्ज करा सके।*
iv. शिकायत दर्ज कराते समय अभ्यर्थी अपना नाम, रोल नं0, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कूट संख्या, प्रश्न पत्र पुस्तिका का सेट नं0 (यदि कोई हो तो) तथा प्रश्न के क्रम सं0 एवं इसके कुंजी का अवश्य उल्लेख करें।
v. प्रश्न/कुंजी के सन्दर्भ में विश्वविधालय का निर्णय अन्तिम होगा।

विशेषः अभ्यर्थी ध्यान रखें कि चूंकि उत्तर स्याही से दर्शाये जा रहे है अतः एक बार दर्शाये गये उत्तर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। (उत्तर में परिवर्तन के लिए वाइटनर का प्रयोग वर्जित है।)

17. प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

(i) परीक्षार्थी को अपनी प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वैध प्रवेश–पत्र लाना चाहिये। उसे उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित अपने अनुक्रमांक की सीट पर ही स्थान ग्रहण करना चाहिये।

(ii) प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा के पश्चात परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने के पूर्व परीक्षा–कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iv) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के अलावा प्रवेश परीक्षाओं में 'लेखक' उपलब्ध कराने अथवा लेखक' लाने का कोई प्रावधान नहीं है। दृष्टिहीन अभ्यर्थी को 'लेखक' निवेदन करने पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए खण्ड 5 (iii) देखें।

(v) किसी भी स्रोत सामग्री की तनिक भी शंका होने पर अचानक कक्ष निरीक्षक द्वारा या परीक्षा संचालन से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा परीक्षार्थी की जाँच सहसा और बार–बार की जा सकेगी।

(vi) कैलकुलेटर/वॉच कैलकुलेटर, इलेक्ट्रानिक डायरी, पेजर, मोबाइल फोन, ईयर फोन, अलार्म घड़ी, मेमोरी वाली डिजिटल घड़ी, स्लाइड रूल, इत्यादि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। अनुज्ञापित हथियार आग्नेय अस्त्र, प्राणघातक हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने वाले औजार भी परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नही है।

(vii) *परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर परीक्षार्थी की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगीः*
परीक्षार्थी के पास अनुचित साधन/सामग्री का पाया जाना या उसके परीक्षा स्थान के आस–पास जमीन पर अथवा सीट के आस–पास अनुचित सामग्री का पाया जाना, या अनाधिकृत सामग्री जैसा (vi) पर दर्शाया गया है/कागज/सूचना सामग्री या किसी भी प्रकार की परीक्षा से सम्बधित स्रोत सामग्री रखना, किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक रुप से सूचना का आदान प्रदान करना अथवा प्रश्न–पुस्तिका/उत्तर पत्र की एक दूसरे के बीच अदला बदली अथवा अनाधिकृत लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी गलत साधनों का प्रवेश परीक्षा के दौरान इस्तेमाल करना, प्रवेश पत्र पर कुछ लिखना, प्रवेश पत्र का लिफाफा संबधित कागज को परीक्षा–हॉल में ले जाना, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नपुस्तिका एवं ओएमआर प्रपत्र की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन आदि [प्रश्नपुस्तिका मेंः अनुक्रमांक अंकों एवं शब्दों में तथा ओएमआर प्रपत्र संख्या; ओ0 एम0 आर0 प्रपत्र मेंः अनुक्रमांक संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या एवं सेट संख्या (यदि कोई हो)] जो सम्बन्धित कक्ष *निरीक्षक द्वारा प्रमाणित न हो, आवेदन पत्र पर किये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं प्रवेश परीक्षा के समय किये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षरों का मिलान न होने पर।*

(viii) *परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी तथा भविष्य में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य करार कर दिया जायेगाः*
प्रवेश पत्र अथवा छायाचित्र में हेर–फेर, चेहरे का प्रवेश पत्र पर दिये गये फोटोग्राफ से पूर्णतया न मिलना, निर्धारित स्थान पर न बैठना, सीट व्यवस्था को अव्यवस्थित करना, प्रश्न–पुस्तिका या उसका कोई भाग अथवा प्रवेश परीक्षा की सामग्री या उससे सम्बन्धित अन्य कोई साम्रगी को नष्ट करना या परीक्षा–कक्ष से बाहर या अन्दर ले जाना, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना, प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना या व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा करना, प्रश्नों या उनके उत्तरों को नोट करना, परीक्षा भवन/परीक्षा केन्द्र/विश्वविद्यालय परिसर में नारा लगाना या अव्यवस्था उत्पन्न करना।

(ix) किसी व्यक्ति का किसी परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देना (Impersonation) दण्डनीय अपराध है। किसी भी परीक्षार्थी को बिना वैध प्रवेशपत्र के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर प्रवेशपत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की पहचान प्रवेश प्रपत्र पर दिये गये विवरण से की जायेगी । पहचान संदिग्ध होने पर उसे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नही होगी। अस्थायी तौर पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति अगूँठा निशानी/कई बार हस्ताक्षर नमूना लेने और अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात दी जा सकेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई समय नहीं दिया जायेगा ।
ठीक उसी प्रकार काउन्सिलिंग के समय भी उपलब्ध कागजातों से अभ्यर्थी की पहचान का मिलान विश्वविद्यालय में किया जायेगा और किसी भी प्रकार का सन्देह होने पर उसका/उसकी प्रवेश प्रवेश सम्बन्धी अंतिम निर्णय होने तक स्थगित रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उसे प्रथम परीक्षण सूचना (एफ0 आई0 आर0) के तहत पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया जायेगा साथ ही उस अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली समस्त प्रवेश

परीक्षाओं से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। यदि विश्वविद्यालय का कोई छात्र या कर्मचारी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे क्रमशः निष्कासित और सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।

(x) सूचना को छिपाना या गुप्त रखना : अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम योग्यताएँ पूरी करते हैं। यदि किसी स्तर पर यह संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता पूर्ण नहीं करता अथवा उसके विरूद्ध ऐसा कुछ है जो कि उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित करता है अथवा अभ्यर्थी ने कोई गलत सूचना दी है अथवा पूर्व में किसी कदाचार व अनुशासनहीनता या ऐसे किसी कृत्य में संलिप्तता रही हो जो कि कानूनन दण्डनीय है, की जानकारी नही दी है तो उसका आवेदन पत्र विचारणीय नही होगा तथा प्रवेश यदि हो चुका है तो किसी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(xi) प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकृत प्राधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी परीक्षा केन्द्र के आस–पास घूमने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा कोई अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस–पास घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे पुलिस को विश्वविद्यालय द्वारा एफ0आई0आर0 के तहत सुपुर्द कर दिया जायेगा।

(xii) किसी भी स्थिति मे किसी भी स्तर पर उत्तर–पत्र का पुनरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(xiii) अभ्यर्थी बी0एच0यू0 के संविधान/नियमों/उपनियमों से जो समय–समय पर परिवर्तित होते रहते हैं से बाध्य होगा।

(xiv) प्रवेश परीक्षा से सम्बधित किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय वाराणसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का क्षेत्राधिकार होगा।

(xv) व्याख्या सम्बन्धी किसी भी संदेह या अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही मान्य होगा।

18. मूल्यांकन एवं परीक्षाफल

मूल्यांकन :

सभी पाठ्यक्रमों की स्नातक प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मूल्यांकन ऋणात्मक अंक प्रणाली के अनुसार होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक प्रदान किये जायेंगे जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक काट लिया जायेगा। जिन प्रश्नों को नही किया जायेगा उन पर शून्य अंक दिये जायेंगे।
अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के क्रम के अनुसार होगा यदि वह न्यूनतम योग्यता अर्हता पूर्ण करता है। तथापि बी. म्यूज.,/बीपीए और बी. एफ. ए. के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक 35% अंक और प्रायोगिक परीक्षा में 45% होगा। योग्यता क्रम का निर्धारण, दो भागों यथा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक के योग पर आधारित होगा।
बीपीएड में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक लिखित परीक्षा में 35% होगा जबकि फिजिकल फिटनेस परीक्षण में यह 45% होगा। बी. पी. एड. में योग्यता क्रम का निर्धारण तीन भागों यथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, फिजिकल फिटनेस परीक्षण में प्राप्त अंक और खेलकूद हेतु निर्धारित बोनस अंकों के योग पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा की न्यूनतम अर्हता अंक में परिवर्तन का विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित है।

बी0एफ0ए0 और बी0म्यूज0/बीपीए के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक को शिथिल करना (कम करने की स्थिति में) पड़ा तो योग्यता क्रम की गणना निम्नलिखित विधि से होगीः

(i) प्रथमतः वे अभ्यर्थी संयुक्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में सम्मलित होंगे जो स्नातक प्रवेश परीक्षा में लिखित तथा प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्राप्त किये हो। (ii) उसके पश्चात वे अभ्यर्थी संयुक्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में सम्मलित होंगे जो प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्राप्त किये हो, परन्तु लिखित प्रवेश परीक्षा में न पास हो। (iii) अंततः वे अभ्यर्थी संयुक्त प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची में रखे जायेंगे जो प्रवेश परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा में अर्हता प्राप्तांक न प्राप्त किये हो (लिखित परीक्षा में जो भी अंक हो)।
बी. म्यूज./बीपीए और बी. एफ. ए. में उपरोक्त विधि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। तत्पश्चात कोई भी अभ्यर्थी स्नातक प्रवेश परीक्षा में तभी सम्मिलित माना जायेगा जब वह लिखित और प्रायोगिक दोनों ही में सम्मिलित हुआ होगा।
यदि बी. पी. एड. के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक को शिथिल करना (कम करने की स्थिति में) पड़ा तो योग्यता क्रम की गणना निम्नलिखित विधि से होगीः

(i) प्रथमतः वे अभ्यर्थी संयुक्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में सम्मलित होंगे जो स्नातक प्रवेश परीक्षा की लिखित परीक्षा एवं फिजिकल फिटनेस परीक्षण में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो। (ii) उसके पश्चात वे अभ्यर्थी मेरिट सूची में सम्मलित होंगे जो फिजिकल फिटनेस परीक्षण में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्राप्त किये हो, परन्तु लिखित प्रवेश परीक्षा में न पास हो। (iii) अंततः वे अभ्यर्थी मेरिट सूची में रखे जायेंगे जो फिजिकल फिटनेस परीक्षण में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक न प्राप्त किये हों (लिखित परीक्षा में कोई भी प्राप्तांक हो)
विशेषः उपरोक्त विधि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। तत्पश्चात कोई भी अभ्यर्थी स्नातक प्रवेश परीक्षा में तभी सम्मिलित माना जायेगा जब वह लिखित और फिजिकल फिटनेस परीक्षण दोनों ही में सम्मिलित हुआ होगा।
बी. पी. एड. के लिए बोनस अंकों का विभाजनः
1. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान/अन्तरराज्यीय/नेशनल फेडरेशन राष्ट्रीय खेल एवं आईओए द्वारा अनुमोदित और संचालित वर्ल्ड/सैफ/कामन वेल्थ गेम्स जैसा कि एआईयू की सूची में सत्यापित।

व्यक्तिगत	टीम	अंक
प्रथम स्थान	प्रथम स्थान	50
द्वितीय स्थान	द्वितीय स्थान	45
तृतीय स्थान	तृतीय स्थान	40
……..	चतुर्थ स्थान	35

2. अन्तर विष्वविद्यालयीय भारतीय प्रतिस्पर्धा

व्यक्तिगत	टीम	अंक
....	सदस्य भारतीय विष्वविद्यालय टीम	45
प्रथम स्थान	सदस्य विजयी टीम	40
द्वितीय स्थान	सदस्य रनर–अप टीम	35
तृतीय स्थान	सदस्य तृतीय स्थान टीम	30

3.मण्डलीय/क्षेत्रीय अन्तरविष्वविद्यालयीय प्रतिस्पर्धा में स्थान

व्यक्तिगत	टीम	अंक
....	सदस्य, विज्जी ट्राफी टीम	20
प्रथम स्थान	सदस्य विजयी टीम	15
द्वितीय स्थान	सदस्य रनर–अप टीम	10

नोटः– ऐसा अभ्यर्थी जो आगे दिये हुए खेलकूद में भारत का प्रतिनिधित्व किया होः– आईओए द्वारा अनुमोदित खेलकूद/ संध द्वारा आयोजित ओलम्पिक में/विश्व में/एशिया में/कामन वेल्थ गेम में/एसएएफ एवं विश्व यूनिवर्सिटी, और एआईयू लिस्ट के अन्तर्गत हो तो सीधा प्रवेश पायेगा, यदि वह अभ्यर्थी प्रवेश की अन्तिम तिथि के पूर्व प्रवेश हेतु आवेदन करता है और अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण हो।

टिप्पणी : (i) समान इन्डेक्स होने पर अधोलिखित मानकों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(अ) अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत (मार्क्स) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। बी0 एस0 सी0 में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान विषयों में प्राप्त कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत मान्य होगा।

(ब) अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

विशेषः

विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में कहीं पर कुछ विरोध होने का उल्लेख होने के बावजूद किसी भी कारणवश प्रवेश परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिका की जाँच/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। साथ ही प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन या पूछताछ स्वीकार नहीं की जायेगी।

परीक्षाफल :

सम्बन्धित संस्थानों के निदेशक/संकायों के संकाय प्रमुख/प्रधानाचार्या (महिला महाविद्यालय) द्वारा केवल चयनित/प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश हेतु सूचित किया जायेगा। विश्वविद्यालय प्रयास करेगा कि अभ्यर्थियों का परीक्षाफल विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in. पर उपलब्ध हो जो जून 2011 के लगभग तीसरे–चौथे सप्ताह में निकल सकता है। प्रवेश परीक्षा परिणाम से संबंधित/जाँचे गये उत्तर पत्र से सम्बन्धित कोई पूछताछ स्वीकार्य नहीं होगी।

19. प्रवेश के समय आवश्यक मूल अभिलेखः

यदि किसी अभ्यर्थी को किसी विशेष तिथि/तिथियों पर किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आमन्त्रित किया जाता है, तो उसे नीचे वर्णित समस्त अभिलेखों की मूल प्रति अपने साथ लाना होगा, जिसे न लाने पर उसका प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा (आमन्त्रण पत्र में विस्तृत जानकारी दी जायेगी)।

(i) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।

(ii) प्रवजन प्रमाण पत्र, यदि का.हि.वि.वि के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो (जिसे प्रवेश के 90 दिनों के अन्दर जमा करना होगा)।

(iii) हाईस्कूल प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।

(iv) इण्टरमीडिएट (+2) प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।

(v) हाईस्कूल/समकक्ष और इण्टरमीडिएट (+2)/समकक्ष के अंक पत्र।

(vi) अर्हता परीक्षा का अंक पत्र (नीचे वर्णित खण्ड 20 देखें)।

(vii) परीक्षा नियंता कार्यालय, का.हि.वि.वि द्वारा जारी यूईटी प्रवेश पत्र।

(viii) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0जा0 प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर आरक्षण मॉग किया गया हो।

(ix) खेल सीटों के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र(त्रों)।

(x) का.हि.वि.वि के स्थायी सेवा के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' द्वारा निर्धारित पद्धति में जारी प्रमाण पत्र।

नोटः वे अभ्यर्थी भी जो अर्ह परीक्षा के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे/रही हों, प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते/सकती है और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हो सकते/सकती है, परन्तु अभ्यर्थी को अर्ह परीक्षा का मूल अंकपत्र प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। पुनः ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश हेतु होने वाली काउन्सिलिंग के लिए बुलाये जाने की दशा में यदि काउन्सिलिंग की तिथि को अर्ह परीक्षा में वांछित न्यूनतम अर्हता के साथ मूल अंकपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तों के साथ सशर्त प्रवेश हेतु अनुमति दी जायेगी

तथापि सशर्त प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर आधारित होंगीः

(अ) अभ्यर्थी को यह लिखित शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह अर्ह परीक्षा की मार्कशीट वांछित न्यूनतम अर्हता शर्तों के साथ 31 अक्टूबर 2011 तक अवश्य प्रस्तुत करेंगे।

(ब) अर्ह डिग्री से सम्बन्धित पूर्व परीक्षाओं के अंक पत्रों से यह स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत (50%) कुल योग के अंकों में प्राप्त किया है (उदाहरण हेतु पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में अन्तिम वर्ष की परीक्षा/अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा को छोड़कर)। यह अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नही है। यदि वे वाछित अंकपत्र 31 अकटूबर 2011 तक प्रस्तुत करने में असफल रहते है तो उनका प्रवेश निरस्त माना जायेगा और सशर्त प्रवेश के लिए किया गया शुल्क भुगतान की वापसी हेतु कोई भी दावा नही कर सकेगा।

20. विभिन्न संकायों / महाविद्यालयों में उपलब्ध आनर्स विषय एवं विषय समूह

कुछ पाठ्यक्रमों जैसे बी0 ए0 (आनर्स) कला, बी0 ए0 (आनर्स) सामाजिक विज्ञान, बी0 एस0 सी0 (आनर्स) गणित, बी0 एस0 सी (आनर्स) जीव विज्ञान समूहों में प्रवेश विशेष विषय समूहों में होते है। इन विषय समूहों का आवंटन स्नातक प्रवेश परीक्षा के सूचकांक विभिन्न विषय समूहों में सीटों की संख्या और अभ्यर्थी के विकल्प के आधार पर दिये जाते है। आनर्स विषय का चुनाव भाग – 3 (तृतीय वर्ष) में करना होगा। आनर्स विषय का चुनाव प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में संबधित विषय में प्राप्त अंको एवं दोनो वर्षो में प्राप्त अंको के योग के आधार पर होगा। विभिन्न संकायों, महिला महाविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के आनर्स विषयों की सूची परिशिष्ट I (English Verson) में दी गयी है। महिला महाविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय के ही नियम लागू होंगे तथा विषय समूह एवं आनर्स विषय भी कला संकाय एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के विषय समूहों के अनुरूप ही प्रदान किये जायेंगे। विषय समूहों की सूची प्रवेश के समय ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सम्भावित अस्थायी प्रवेश हेतु बुलाया जायेगा सूची भेज दी जायेगी। यह सूची विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.bhu.ac.in. पर भी देखी जा सकती है।

21. प्रवेश प्रक्रिया

किसी पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश केवल तभी हो सकता है जब वह समस्त आवश्यक अर्हताओं को पूरी करता / करती हो, स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ / हुई हो तथा उत्तीर्ण हुआ / हुई हो, तथा प्रवेश हेतु समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करता / करती हो। प्रवेश निश्चित रूप से पूर्णतया स्नातक प्रवेश परीक्षा की मेरिट योग्यता अंको,, निर्धारित सीटों की संख्या,, सूचना पुस्तिका में दिये गये नियमों तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर ही होगा।

प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) का परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद प्रवेश–प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। बी.ए.(आनर्स) कला एवं बी.ए.(आनर्स) सामाजिक विज्ञान, बी.काम.(आनर्स) / बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट, एवं बी.एड., / बी.एड. (स्पेशल) में प्रवेश ''केन्द्रीय प्रवेश समिति'' द्वारा सम्बन्धित संकायों / महिला महाविद्यालय में किया जायेगा। संबद्ध संकाय / महाविद्यालय के संकाय प्रमुख / प्रधानाचार्य परीक्षार्थियों को बुलावा पत्र भेजेंगे। किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थानों की संख्या से लगभग 2–4 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा जायेगा। केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित महाविद्यालयों में भी प्रयुक्त होगी। अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्बन्धित संकाय की प्रवेश समिति द्वारा सम्पादित होगा। केन्द्रीय प्रवेश समिति प्रवेश हेतु कौंसिलिंग की प्रक्रिया के बाद तत्क्षण सीटों का, विषय समूह का, सस्था का निर्धारण पूर्णतया स्नातक प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये बी.ए. (आनर्स) कला एवं बी.ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान में प्रवेश ''केन्द्रीय प्रवेश समिति'' द्वारा महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में किया जायेगा। महिला महाविद्यालय में बी.एस–सी. (आनर्स) पाठयक्रम में अभ्यर्थियों का प्रवेश विज्ञान संकाय की केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा विज्ञान संकाय में किया जायेगा। अभ्यर्थी को मूल हाईस्कूल का अंक–पत्र, प्रमाण–पत्र, इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक–पत्र, प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र (यदि जारी हुआ हो), स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र (यदि किसी द्वारा जारी हुआ हो) एवं सम्बद्ध प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र (सभी मूल रुप में) प्रवेश के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके बिना प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा गोपनीय अंकपत्र, अस्थायी परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। तथा साथ ही निश्चित समय सीमा के भीतर फीस न जमा करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश हेतु होने वाले काउन्सिलिंग के लिए बुलाये जाने की दशा में यदि काउन्सिलिंग की तिथि को अर्ह परीक्षा में वांछित न्यूनतम अर्हता के साथ मूल अंकपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भी उन्हें निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रवेश हेतु अनुमति दी जायेगी।

तथापि सशर्त प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर आधारित होंगीः

(अ) अभ्यर्थी को यह लिखित शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह अर्ह परीक्षा की मार्कशीट वांछित न्यूनतम अर्हता शर्तों के साथ 31 अक्टूबर 2011 तक अवश्य प्रस्तुत करेंगे।

(ब) अर्ह डिग्री से सम्बन्धित पूर्व परीक्षाओं के अंक पत्रों से यह स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत (50%) कुल योग के अंकों में प्राप्त किया है (उदाहरण हेतु पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में अन्तिम वर्ष की परीक्षा / अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा को छोड़कर)। यह अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नही है। यदि वे वाछित अंकपत्र 31 अकटूबर 2011 तक प्रस्तुत करने में असफल रहते है तो उनका प्रवेश निरस्त माना जायेगा और सशर्त प्रवेश के लिए किया गया शुल्क भुगतान की वापसी हेतु कोई भी दावा नही कर सकेगा।

आवासीय सुविधा : यद्यपि की छात्रावास प्रदान करने हेतु समस्त प्रयास उपयुक्त अभ्यर्थियों के लिए किया जायेगा, फिर भी आवासीय छात्रावास की सुविधा की कोई गारन्टी नही है। वरिष्ठता–सूची क्रम से चयनित समस्त छात्र / छात्राओं को ''विश्वविद्यालय आवासीय सुविधा'' प्रदान करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। परन्तु उपरोक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

बसन्त कन्या महाविद्यालय (30 सीट) बसन्त कालेज राजघाट (60 सीट) छात्रावासों में प्रकोष्ठित सीमित सीटें उपलब्ध है। आर्य महिला पी0 जी0 कालेज व डी. ए.वी. पी0 जी0 कालेज में छात्रावास सुविधा नहीं है। ध्यानाकर्षित किया जाता है कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में फीस का ढाँचा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से भिन्न है और राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर का फीस संरचना भी अलग है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा में भी हास्टल सीमित स्थान के लिए उपलब्ध है।

22. स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) 2011 का कार्यक्रम

सभी लिखित परीक्षा, निर्धारित तिथि पर प्रातः 8.00 बजे प्रारम्भ होगी।

दिन	दिनांक	पाठ्यक्रम
बुधवार	18.05.2011	बी. एड./बी. एड. (स्पेशल) मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कोड सं0 145)
वृहस्पतिवार	19.05.2011	बी. एड./बी. एड. (स्पेशल) भाषा समूह (कोड सं0 141), जीव विज्ञान (कोड सं0 142), भौतिक विज्ञान (कोड सं0 143), गणित (कोड सं0 144)
शुक्रवार	20.05.2011	बी. एफ. ए. (लिखित एवं प्रयोगात्मक)
शनिवार	21.05.2011	बी. म्यूज./बीपीए (कंठ/वाद्य संगीत/नृत्य) (लिखित एवं प्रयोगात्मक)*
सोमवार	23.05.2011	बी. एस.सी. (कृषि), शास्त्री (आनर्स)
मंगलवार	24.05.2011	बी. एस.सी. (आनर्स) जीव विज्ञान
बुधवार	25.05.2011	बी. एस.सी. (आनर्स) गणित
वृहस्पतिवार	26.05.2011	बी. काम. (आनर्स)/बी. काम. (आनर्स)*फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट*
शुक्रवार	27.05.2011	बी. ए. (आनर्स) कला, बी. पी. एड. (लिखित)
शनिवार	28.05.2011	बी. ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान, एल. एल. बी.
सोमवार से आगे	30.05.2011 से आगे	बी. पी. एड. (फिजिकल फिटनेस टेस्ट)**

* बी0 म्यूज0/बीपीए की प्रयोगात्मक परीक्षा 2–3 दिन चल सकती है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस तैयारी से आयें। प्रयोगात्मक परीक्षा का समय संबद्ध संकाय से ज्ञात करें।

** बी0 पी0 एड0 की फिजिकल फिटनेस परीक्षा 2–3 दिन चल सकती है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस तैयारी से आयें। फिजिकल फिटनेस परीक्षा का समय संबद्ध संकाय से ज्ञात करें।

*****

व्याख्या से सम्बन्धित किसी प्रकार के संदेह एवं अस्पष्टता की स्थिति में सूचना पुस्तिका में अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही सही मान्य होगा।

स्नातक प्रवेश परीक्षा सूचना पुस्तिका : मुख्य विशेषताएँ

स्नातक प्रवेश परीक्षा निम्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संचालित की जाती है :

1. सामान्य पाठ्यक्रम (त्रिवर्षीय आनर्स स्नातक पाठ्यक्रम) : बी. ए. (आनर्स) कला, बी. ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान, बी.एस.सी. (आनर्स) गणित एवं जीव विज्ञान समूह, बी. काम. (आनर्स)/*बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट* एवं शास्त्री (आनर्स) ।

2. व्यावसायिक पाठ्यक्रम : बी. पी. एड. (एक वर्षीय), एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय), बी. एफ. ए. (चतुर्वर्षीय), बी. म्यूज. (त्रिवर्षीय), बी. एड./बी. एड. (स्पेशल) (एक वर्षीय), बी. एस. सी. (कृषि) (चतुर्वर्षीय)।

सामान्य पाठ्यक्रम और बी.एफ.ए., बी.म्यूज. और बी. एस. सी. (कृषि) 10 + 2 के पश्चात तथा शेष अन्य पाठ्यक्रम स्नातक डिग्री के बाद उपलब्ध है। सामान्य पाठ्यक्रमों एवं बी. पी. एड., बी. एफ. ए. तथा बी. एस. सी. (कृषि) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी उपरोक्त पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते है। आवेदन हेतु सूचना पुस्तिका तथा आवेदन पत्र अलग–अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग प्राप्त करने होंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु खण्ड–1 में वर्णित न्यूनतम अर्हताएँ पूर्ण करते हैं। लगभग सभी प्रवेश परीक्षाएँ कई केन्द्रों पर होती है। (देखें खण्ड–8)

प्रत्येक सूचना पुस्तिका के साथ आवेदन पत्र संलग्न हैं। इन्हें सावधानीपूर्वक सही–सही भरें (देखे खण्ड–9) और सभी वांछित प्रपत्रों को संलग्न करें (देखें खण्ड–10)। यदि उपरोक्त आवेदन–पत्र सावधानी पूर्वक सही–सही नहीं भरा गया तथा संलग्नक नहीं लगाये गये तो आपका आवेदन–पत्र निरस्त हो सकता है (देखें खण्ड–11)। आवेदन पत्र प्रेषित करने/जमा करने से पूर्व अपने हित में परीक्षण–सूची–(खण्ड 12) से महत्वपूर्ण बिन्दुओं का मिलान अवश्य कर लें। अभ्यर्थी को अनुक्रमांक अंकित कर प्रवेश–पत्र उसके द्वारा आवेदन पत्र पर हस्तलिखित पत्राचार हेतु पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया जायेगा। (देखें खण्ड–14)।

प्रत्येक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की संरचना की जानकारी खण्ड–15 में दी गयी है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न चार वैकल्पिक उत्तरों (1,2,3,4) के साथ होंगे। बी. ए. (आनर्स) कला, बी. ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान, बी. काम. (आनर्स), एवं एल.एल.बी. की प्रवेश परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के व्याकरण एवं ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को हिन्दी या अंग्रेजी के इन प्रश्नों में से किसी एक के उत्तर देने है।

बी.पी.एड., बी.एफ.ए. एवं बी.म्यूज./बीपीए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा में लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। (देखें खण्ड 15)।

प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को क्रम संख्या वाली प्रश्न पुस्तिका एवं एक उत्तर पत्र दिये जायेंगे। कुछ परीक्षाओं की प्रश्न–पुस्तिका पर सेट नम्बर भी अंकित होगा। उत्तर पत्र दो पृष्ठों का होगा। उत्तरपत्र के मुख्य पृष्ठ पर अभ्यर्थी अपनी मूल सूचनाएँ एवं दूसरे पृष्ठ पर प्रश्नों के उत्तर अंकित करेगा। खण्ड–16 में उत्तर देने की विधि बतलायी गयी है। परीक्षा के दौरान व्यवहार एवं अनुचित साधनों के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी के लिये खण्ड–17 देखें।

परीक्षा परिणाम के लिये खण्ड–18 का अवलोकन करें। सम्बन्धित संकाय प्रमुख परामर्श–पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को भेजेंगे। परामर्श–पत्र संकाय में उपलब्ध सीटों के 2–4 गुना अभ्यर्थियों को ही भेजे जायेंगे। प्रवेश पूर्णतया प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर होंगे। परामर्श–पत्र प्रवेश सुनिश्चित नही करता है। मेरिट सूची www.bhu.ac.in पर भी उपलब्ध होगी।

बी. ए. (आनर्स) तथा बी. एस. सी. (आनर्स) में छात्रों को प्रवेश के समय विषय समूह की सूची से किसी एक समूह का चुनाव करना होगा। इन छात्रों को एक भाषा विषय अनिवार्य विषय के रुप में भी चुनना होगा। विषय समूह का निर्धारण छात्र की मेरिट सूची के आधार पर उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा। इन पाठ्यक्रमों में आनर्स विषय तृतीय वर्ष (अन्तिम वर्ष) में स्वीकृत किया जाता है। यह आनर्स विषय प्रथम दो वर्षो में पढ़ाये गये तीनों विषयों में से कोई एक होगा। (खण्ड–20)।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर का शैक्षणिक कार्यक्रम इसके संकायों द्वारा निर्धारित होता है। कला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, बी. ए. एवं एम.ए. की उपाधि प्रदत्त करते है। महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का हिस्सा है। शहर में स्थित डी.ए.वी. पी. जी. कालेज, औसानगंज, आर्य महिला पी0 जी0 कालेज, चेतगंज, वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, एवं वसंता महिला महाविद्यालय, राजघाट इसके सम्बद्ध महाविद्यालय है। ये सभी महाविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्रदत्त करते है। विभिन्न संकायों तथा महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या खण्ड 1 में उद्धृत है। सम्बद्ध महाविद्यालयों में शुल्क का ढ़ांचा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शुल्क के ढ़ांचे से भिन्न है।

छात्रावासों में आवासीय सुविधा सुनिश्चित नहीं है एवं प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक पर आधारित है। (कुछ नियमों के अन्तर्गत)